

अध्याय-2

योजना निवेश और वित्त पोषण

2.1 किसी राष्ट्र की आर्थिक संवृद्धि, साक्षर, कुशल और स्वस्थ मानव संसाधन, प्रभावी परिवहन और संचार प्रणाली, पर्याप्त विद्युत और सिंचाई सुविधाओं, सुदृढ़ औद्योगिक आधार आदि जैसी अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता की उपलब्धता और मात्रा पर निर्भर करती है। यह क्षमता मांग के दबाव को पूरा करती है और राष्ट्र के लिए आय सृजित करती है। अर्थव्यवस्था के अभिशासन से उत्पादक क्षमता का विकास होता है और अन्य बातों के साथ-साथ, सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश के माध्यम से सेवाएं प्राप्त होती हैं।

2.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश, राज्य के योजना निवेश के अंतर्गत आकार ग्रहण करता है। आशा की जाती है कि योजना निवेश से देश की उत्पादक क्षमता का संभाव्य विकास होगा, जिसे राष्ट्रीय संसाधनों के इष्टतम आबंटन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। विकास की योजनाएं बनाने की पचास वर्ष की अवधि में, यद्यपि, उत्पादक क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है लेकिन राज्यों के योजना निवेश के साथ जुड़ी कुछ प्रक्रियाओं के कारण उपलब्ध संभाव्य क्षमता की पूर्ण प्राप्ति नहीं हुई है। यही वह पृष्ठपट (बैकड्राप) है जिसके बारे में वर्तमान अध्याय में उल्लेख किया गया है।

2.3 खण्ड-I में राज्यों के योजना निवेश के साथ सम्बद्ध कुछ प्रक्रियाओं की जांच, उनके अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमताओं के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में की गई है। खण्ड-II में इन प्रक्रियाओं के संदर्भ में पांचवीं पंचवर्षीय योजना से राज्यों के योजना निवेशों के वित्त पोषण में मौजूद प्रवृत्ति का पता लगाया गया है, ताकि राज्यों की आनुपातिक संसाधन जुटाने की योग्यता का पता चल सके। खण्ड-III में खण्ड-II के निर्धारण का विश्लेषण, राज्यवार कार्यनिष्पादन के रूप में दिया गया है। खण्ड-IV में राज्यों के योजना निवेश के संयोजन का उल्लेख किया गया है, जिसमें उत्पादक क्षमताओं के उन क्षेत्रों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है, जिन्हें विकास हेतु राज्यों ने अब तक प्राथमिकता प्रदान की है। खण्ड-V में भावी कदमों का उल्लेख किया

गया है। ऐसा करते समय उन विचारों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनसे राज्यों के योजना व्यय का निर्धारण शासित होना चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमताओं का संभाव्य विकास प्राप्त किया जा सके।

I योजना निवेश और अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता

2.4 योजना निवेश की परिभाषा, सरकारों के योजना और गैररिजर्व योजना खर्चों के बीच भिन्नता से उत्पन्न होती है। योजना खर्च, चालू पंचवर्षीय योजनावधि में शुरू की गई नई स्कीमों से उत्पन्न होता है। इसी अवधि में गैररिजर्व योजना खर्च, पिछली पंचवर्षीय योजना अवधियों से आगे लाई गई स्कीमों से उत्पन्न होता है। अतः गैररिजर्व योजना खर्च, सरकार की पुरानी स्कीमों और योजना खर्च, नई स्कीमों के लिए समर्थन(सहायता) प्रदान करता है। चूंकि विगत में पुरानी स्कीमों की तरह, नई स्कीमों अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि करती हैं, इसलिए योजना खर्च, अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि करने में सरकार के निवेश को दर्शाता है। इस प्रकार गैररिजर्व योजना खर्च, मौजूदा क्षमताओं का रखरखाव करता है और योजना खर्च इनमें वृद्धि करता है। अतः इस अध्याय में योजना निवेश का उल्लेख योजना खर्च के रूप में किया जाएगा।

2.5 विगत दशकों के दौरान राज्यों के बजटों का निकट से अवलोकन करने से सरकार के योजना और गैररिजर्व योजना खर्च के बीच अंतर स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। यद्यपि, अनजाने में ऐसा हुआ है, लेकिन गैररिजर्व योजना खर्च का मिथ्या निरूपण, योजना खर्च के रूप में हुआ है। नई पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कार्यान्वित की गई राज्यों की कुछ स्कीमों के पूरा होने में पांच वर्ष से अधिक समय लगा है। वस्तुतः अगली पंचवर्षीय योजना में इन्हें गैररिजर्व योजना स्कीम समझा जाना चाहिए था। तथापि, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राज्यों ने वृहद योजना आकार को अपने आर्थिक निष्पादन के संबंध में सकारात्मक झलक (रिफ्लेक्शन) माना था। इसी कारण से, उन योजनाओं को भी आगामी पंचवर्षीय

योजना में गैरध्वजना बजट के अधीन नहीं रखा गया था जो उसी पंचवर्षीय योजना के अंदर ही पूरी हो गई थीं और कार्यशील हो गई थीं।

2.6 दुर्भाग्यवश, गैरध्वजना स्कीमों का योजना स्कीमों के रूप में मिथ्याधनरूपण करने से गैरध्वजना के लिए उचित आवश्यकता का कम उल्लेख हुआ था। केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्यों की उचित गैरध्वजना आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है और तदनुसार उनके लिए केन्द्रीय करों और अनुदानों में से आवश्यक हिस्सा प्रदान करता है। इस वजह से आयोग ने उनके लिए कम राशि रखी। इसके परिणामस्वरूप, मिथ्या निरूपण के कारण गैरध्वजना के अधीन वह बचत नहीं हुई, जिस पर राज्य निर्भर कर रहे थे और योजना संसाधनों को बढ़ाना चाहते थे। परिणामतः गैरध्वजना स्कीमों के मिथ्या निरूपण से न केवल योजना बजट कड़ा हुआ बल्कि राज्यों के सामने संसाधन आबंटन के मामले में नई स्कीमों के लिए समस्या खड़ी हो गई। इसके फलस्वरूप, मौजूदा क्षमताओं के रखरखाव के प्रावधान के लिए केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा कम राशि रखे जाने और योजना संसाधनों में सीमित उपलब्धता होने, दोनों से समस्या उत्पन्न हुई। अतः नए निवेशों द्वारा उत्पादक क्षमताओं के सृजन से प्राप्त हुए लाभ, रखरखाव परिव्यय में कटौती होने से मौजूदा क्षमताओं को हुई हानि से निष्क्रिय हो गए थे।

2.7 राज्यों के बजट इस तथ्य के साक्ष्य भी हैं कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में बड़ी संख्या में नई स्कीमों शामिल की गई हैं। यद्यपि, इसमें कोई विवाद नहीं है कि राज्यों का उद्देश्य, उत्पादक क्षमता के सभी क्षेत्रों का तीव्र और साथ-साथ विकास करना था, लेकिन सीमित योजना बजट में अधिक संख्या में स्कीमों मौजूद होने के कारण उन्हें बहुत कम संसाधन प्राप्त हुए। परिणामतः अपर्याप्त वित्त पोषण के कारण अनेक नई स्कीमों स्वतः ही शुरू नहीं की जा सकीं, जिससे एक बार फिर योजना खर्च के अनुरूप उत्पादक क्षमताओं का विकास न होने की बात पर प्रकाश पड़ता है।

2.8 स्कीमों की संख्या में हुई तीव्र वृद्धि से प्रशासन और स्थापना की अनुत्पादक लागत का अवांछनीय सृजन आवश्यक हो गया। समय की मांग कम प्राथमिकताओं वाली और असंगत स्कीमों की छंटवाई करने तथा कुछ मौजूदा जिम्मेदारियों को निजी क्षेत्र को अंतरित करने की थी। इससे प्रशासन और स्थापना लागत में कमी आई होती और इससे मौजूदा और भावी, दोनों क्षमताओं के लिए बचत हुई होती। तथापि,

राज्यों ने संसाधनों की तंगी को पूरा करने के लिए उधार लेने का विकल्प चुना। इसके परिणामस्वरूप, निजी बचत संबंधी सरकारी क्षेत्र का ड्राफ्ट बढ़ गया जिससे निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध संसाधनों में कमी आ गई। उधारी की उच्च लागत से निजी क्षेत्र का निवेश बाधित हो गया। इस प्रकार अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता के निर्माण में निजी क्षेत्र का योगदान उपलब्ध संभाव्य से कम रह गया।

2.9 दसवीं योजनावधि के आरंभ में पिछली उधारियों पर पड़ने वाले ब्याज के भार के पहले से ही अधिक प्रशासनिक और स्थापना लागतों में जुड़ने से समस्या और बढ़ गई। ऐसी संभावना प्रतीत नहीं होती है कि मौजूदा क्षमताओं के खर्च और नई क्षमताओं के विकास के खर्च को पूरा करने के लिए अपेक्षित संसाधनों की पर्याप्त रूप से पूर्ति उधारियों द्वारा की जा सकती है। राज्यों की उधारियों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से केन्द्र तय करता है, जिसने पहले ही संपूर्ण प्रणाली में वित्तीय घाटे को कम करने के संकल्प का संकेत दे दिया है। उधारियों की कमजोर वृद्धि से उत्पन्न होने वाली लाभकारी अंतर्वृद्धि, ब्याज भार की संवृद्धि को रोकेंगी। तथापि, जब तक विशाल प्रशासनिक और स्थापना लागत में अत्यधिक गिरावट नहीं आएगी, तब तक इस अकेले कदम से मौजूदा और अतिरिक्त क्षमताओं के लिए संसाधन जुटाने में सहायता नहीं मिलेगी। यदि प्रशासनिक और स्थापना लागत कम नहीं की जाएगी तो केवल अतिरिक्त क्षमताओं के सृजन से मिलने वाला लाभ मौजूदा क्षमताओं के ह्रास से निष्प्रभावी हो जाएगा। इस प्रकार निकट भविष्य में उत्पादक क्षमताओं में नकारात्मक वृद्धि होना, एक विशिष्ट संभावना है।

2.10 जैसाकि उपर्युक्त चर्चा में उल्लेख किया गया है कि अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में संभावना से कम वृद्धि का मूल कारण, प्रशासन और स्थापना की अनुत्पादक लागत की बढ़ती हुई मौजूदगी है। इसकी मौजूदगी, प्रथमतः राज्यों की नई स्कीमों की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में विफलता और दूसरे अनुत्पादक लागत की परिणामी वृद्धि को यदि समाप्त नहीं करते तो कम करने में विफलता के कारण, हावी होने दी गई। "उपचार से रोकथाम बेहतर है" के सिद्धांत का अनुकरण करके यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि नई स्कीमों को लागू करने के संबंध में पहले ही कुछ संयम बरता जाता तो अनुत्पादक लागतों की वृद्धि पर अंकुश लगाया जा सकता था।

2.11 राज्यों द्वारा वहन की जा सकने वाली नई स्कीमों

की संख्या तय करने के संबंध में स्थापित "मानदण्ड" हैं, जिन्हें अपनाया जाना चाहिए। ऐसा एक "मानदण्ड" यह है कि पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में नई स्कीम तभी लागू की जा सकती है जब पुरानी स्कीमों के रखरखाव पर होने वाले आवर्ती व्यय को वर्तमान राजस्व के अंदर ही समाहित किया जा सकता हो। पुरानी स्कीमों से उत्पन्न होने वाले आवर्ती व्यय का उल्लेख, गैररखोजना राजस्व व्यय के रूप में किया जाता है, जिसे जब वर्तमान राजस्व में से घटाया जाता है तब राज्य का वर्तमान राजस्व से शेष राजस्व निर्धारित होता है। उपर्युक्त मानदण्ड के अनुसार, वर्तमान राजस्व से शेष (बी0सी0आर0), गैररखोजनात्मक होना चाहिए। अन्य शब्दों में, गैररखोजना राजस्व लेखा, जो वर्तमान राजस्व से शेष को दर्शाता है, कभी घाटे में नहीं होना चाहिए।

2.12 एक बार जब गैररखोजना राजस्व खाते के घाटे को समाप्त कर दिया जाता है, तब के बाद राज्य, नई स्कीमों शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं। नई स्कीमों में भी राजस्व खर्च का घटक होगा। इस राजस्व खर्च का वित्त पोषण, उक्त पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान केन्द्र द्वारा हस्तांतरित योजना अनुदानों द्वारा किया जाना होता है। तथापि, अगली पंचवर्षीय योजना में इस राजस्व खर्च का वित्त पोषण योजना अनुदानों से नहीं किया जा सकता, क्योंकि योजना अनुदान, उस विशिष्ट पंचवर्षीय योजना की नई स्कीमों के लिए होगा। अतः पिछली पंचवर्षीय योजना में लागू की गई स्कीमों को जारी रखने से किसी पंचवर्षीय योजना में उत्पन्न होने वाला राजस्व खर्च, योजना अनुदान से इतर राजस्व संसाधनों से पूरा किया जाना चाहिए। इसके लिए यह अपेक्षित होता है कि पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में राज्यों को इस प्रकार अतिरिक्त संसाधन जुटाव और खर्च में कफायत के उपायों की ऐसी योजना बनानी चाहिए कि पंचवर्षीय योजना के अंत में चालू स्कीमों से उत्पन्न होने वाला गैररखोजना राजस्व खर्च, गैररखोजनात्मक वर्तमान राजस्व शेष में ही पूर्णतया रखा जाए।

2.13 यह नोट किया जाना चाहिए कि यद्यपि, कम संख्या में नई स्कीमों लागू करने से वर्तमान राजस्व शेष में गैररखोजनात्मकता सुनिश्चित होगी। तथापि, यह प्रशासन और स्थापना की अनुत्पादक लागत की समस्या को हल नहीं कर सकता। राज्यों को अनुत्पादक लागतों को नियंत्रित करके रखरखाव परिव्यय के प्रावधान को बचाने हेतु सीधे उपाय करने होंगे। तथापि, वर्तमान राजस्व शेष में गैर नकारात्मकता होने से राज्य उधारियों में कमजोर दर की वृद्धि योजना बना सकते हैं और ब्याज के भार को असहनीय

होने से रोक सकते हैं। चूंकि उधारियों का निर्धारण गैररखोजना राजस्व व्यय के वित्त पोषण की बाधा से मुक्त रूप से किया जा सकता है, इसीलिए गैररखोजनात्मक वर्तमान राजस्व शेष से उधारियों में कमजोर वृद्धि होती है और यही मामला नकारात्मक वर्तमान राजस्व शेष के अंतर्गत होगा। यही वह कारण है जो वर्तमान राजस्व शेष की गैररखोजनात्मकता का औचित्य सिद्ध करता है।

2.14 राज्यों के अपने राजस्व के अलावा केन्द्रीय करों में हिस्सा और केन्द्र द्वारा राज्यों को दिए गए गैररखोजना अनुदान भी वर्तमान राजस्व शेष में गैररखोजनात्मकता लाने के प्रयासों में योगदान करते हैं। केन्द्रीय करों और गैररखोजना अनुदानों का निक्षेपण वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित होता है। इस आयोग का गठन, प्रत्येक पांच वर्ष बाद होता है। वित्त आयोग की सिफारिशों से उस सीमा तक राज्यों के राजस्व संसाधनों को मजबूत बनाने की आशा की जाती है कि राज्य गैररखोजनात्मक वर्तमान राजस्व शेष हासिल कर लेंगे। वित्त आयोग, गैररखोजना राजस्व खर्च के स्तरों के लिए प्रतीकात्मक ढंग से नियामक मानक निश्चित करता है, इसलिए इससे विगत की वचनबद्धताओं पर खर्च की प्राथमिकता तय करने के लिए राज्यों को निर्धारण मानना आवश्यक हो जाता है। वित्त आयोग, राज्यों के लिए उनके राजस्व की प्राप्तियों के लिए भी नियामक मानक तय करता है, जिसमें कर और कर इतर राजस्व होता है। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य के लिए केन्द्रीय करों का हिस्सा केन्द्र द्वारा दिए जा सकने वाले हिस्से और मापदण्ड पर आधारित होता है, जो राज्यों के बीच अधिकांशतः न्यायोचित होता है। यदि इन सब के बाद भी किसी राज्य का वर्तमान राजस्व शेष नकारात्मक होता है तो संसाधन अंतर के समतुल्य अनुदान दिया जाता है।

2.15 नई पंचवर्षीय योजना में गैररखोजनात्मक वर्तमान राजस्व शेष के हेतु से राज्यों की योजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा दी गई राशि और राज्यों की उधारियां केवल नई स्कीमों चलाने के लिए उपलब्ध होती हैं। राज्यों की योजना के लिए केन्द्रीय राशि का निक्षेपण, केन्द्रीय सहायता के रूप में योजना आयोग द्वारा और केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय योजना स्कीमों के रूप में केन्द्रीय मंत्रालयों से किया जाता है। कुछ राशियां पूर्णतया अनुदानों के रूप में दी जाती हैं और कुछ ऋण के रूप में दी जाती हैं। नोट की जाने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि, ऐसे सभी अंतरण और उधारियां, नई स्कीमों शुरू करने के लिए चालू पंचवर्षीय योजना में फिलहाल उपलब्ध हैं, लेकिन अगली पंचवर्षीय योजना में इन स्कीमों में जिस

गैरध्वजना राजस्व खर्च की आवश्यकता होगी, उसे आगामी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्दिष्ट केन्द्रीय अंतरणों और उधारियों से पूरा नहीं किया जा सकता। यदि राज्य इसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो वित्त आयोग इसकी पूर्ति कर सकता है। अतः यह आवश्यक है कि राज्य वर्तमान पंचवर्षीय योजना में लागू की गई नई स्कीमों से जुड़े सभी आवर्ति खर्चों को आगामी पंचवर्षीय योजना में गैरध्वजना बजट में अंतरित कर दे ताकि केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा गैरध्वजना राजस्व खर्च का सही मूल्यांकन किया जा सके।

2.16 ऐसे अंतरणों का उल्लेख "वचनबद्ध देयताओं" के अंतरण के रूप में किया जाता है। इन अंतरणों के अभाव में वित्त आयोग गैरध्वजना राजस्व खर्च की आवश्यकताओं का कम आकलन करता है और इस प्रकार कम राजस्व का निक्षेपण करता है, जिससे गैरनकारात्मक वर्तमान राजस्व शेष बनाए रखना कठिन हो जाता है। दूसरी ओर योजना खाते में "वचनबद्ध देयताएं" जारी रखने, जो गैरध्वजना परिव्यय का योजना निवेश के रूप में मिथ्या निरूपण के समान है, के परिणामस्वरूप योजना निवेश का राजस्व खर्च घटक बढ़ जाता है। "वचनबद्ध देयताओं" का अन्तरण न करने के परिणामस्वरूप योजना निवेश का विशाल राजस्व खर्च घटक, केन्द्र से उधारियों के स्थान पर अधिक अनुदान की मांग करने का आधार नहीं बन सकता।

2.17 वास्तव में, इससे यह झलक मिलती है कि यदि वचनबद्ध देयताओं का उचित रूप से अंतरण हो जाता है तो कुल केन्द्रीय अंतरणों का अनुदान घटक अवश्य बढ़ेगा। इसका कारण, गैरध्वजना अंतरणों (इसमें केन्द्रीय करों और गैरध्वजना अनुदानों का हिस्सा शामिल है), जो योजना अंतरणों (इसमें केन्द्रीय सहायता और केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय योजना स्कीमों शामिल हैं) की तुलना में अधिक रूप से अनुदान बहुल्य है, को वचनबद्ध देयताओं के अंतरण को समायोजित करने के लिए बढ़ाया जाना है। यद्यपि, केन्द्रीय सहायता के अनुदान घटक को बढ़ाने से यही हासिल होगा, लेकिन इससे वह भी वैध हो जाएगा जिसे राज्य गलत तरीके से योजना निवेश के रूप में प्रस्तुत करते हैं। निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई मैक्रोआर्थिक नीतियों के संबंध में बढ़ाश्चढ़ा कर कहा गया उच्च सार्वजनिक निवेश, गलत संकेत देता है।

2.18 अब तक उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह देखा जा सकता है कि नई स्कीमों की निर्बाध संवृद्धि के कारण, गैरनकारात्मक वर्तमान राजस्व शेष, सुनिश्चित करना अधिकाधिक

रूप से कठिन हो गया था। जब वर्तमान राजस्व शेष अंततः नकारात्मक हो गया तो इससे राज्यों का उधारी कार्यक्रम, सहनीय स्तर से बाहर हो गया। इसके परिणामी ब्याज और उसमें तीव्र संवृद्धि के भार से वर्तमान राजस्व शेष का नकारात्मक आकार और बढ़ गया और इसके परिणामस्वरूप असहनीय उधारियां लेनी पड़ी। अपने राजस्व जुटाने और गैरध्वजना राजस्व खर्च को रोकने के लिए वित्त आयोग द्वारा बताई गई विधि की अनदेखी कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय करों में हिस्सा और वित्त आयोग द्वारा संस्तुत गैरध्वजना अनुदान भी वास्तविक आवश्यकताओं से बहुत कम रह गए। राज्यों द्वारा वचनबद्ध देयताओं का अंतरण करने में विफल रहने के कारण वित्त आयोग के निक्षेपण भी अपर्याप्त रह गए थे।

2.19 इस प्रकार गैर-नकारात्मक वर्तमान राजस्व शेष हासिल करने के लिए आगे की जाने वाली कार्रवाई में समयबद्ध लक्ष्य निश्चित करना आवश्यक हो गया है। इस संबंध में प्रथमतः राज्यों के लिए यह अपेक्षित है कि वे अपने गैरध्वजना राजस्व व्यय को सही ढंग से निरूपित करें, जबकि आर्थिक कार्य निष्पादन को मापने के बेंचमार्क के रूप में बड़े योजना आकार पर राज्य ध्यान न दें। सही रूप से अनुमानित गैरध्वजना राजस्व खर्च से वित्त आयोग, राज्य विशिष्ट अतिरिक्त संसाधन जुटाव के वास्तविक लक्ष्य और खर्च में मितव्ययिता पर प्रकाश डाल सकेगा, खर्च में मितव्ययिता में असंगत गैरध्वजना स्कीमों की छंटाई और मौजूदा जिम्मेदारियों को निजी क्षेत्र को अंतरित करना शामिल है। सही रूप में अनुमानित गैरध्वजना राजस्व खर्च से वित्त आयोग, केन्द्रीय करों और गैरध्वजना अनुदानों का भी उचित निक्षेपण कर सकेगा।

2.20 इसके बाद विधायी कार्रवाई के जरिए राज्यों की उधारियों पर पाबंदी लगाना होगा। ताकि निजी बचत पर सार्वजनिक क्षेत्र के ड्राफ्ट में कोई और वृद्धि न हो, हालांकि वर्तमान स्तर से निम्न स्तर का ड्राफ्ट वांछनीय होगा। उपलब्ध उधारियां, योजना खर्च के समूचे आकार को परिभाषित करेंगी। तथापि, आगामी पंचवर्षीय योजना में योजना खर्च की आवर्ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य विशिष्ट अतिरिक्त संसाधन जुटाव और मितव्ययिता अभियान के और उपायों की योजना अग्रिम तौर से बनानी होगी ताकि गैर नकारात्मक वर्तमान राजस्व शेष बनाया रख जा सके। योजना बजट के अधीन लागू की गई नई स्कीमों की संख्या यथासंभव सीमा तक कम होनी चाहिए ताकि इनके लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें। उत्पादक क्षमताओं का विकास, जिस पर राज्यों की योजना के वास्तविक आकार के कारण

ध्यान नहीं दिया जाता है, निजी क्षेत्र का समर्थन हासिल करने के लिए प्रचार किया जाना चाहिए।

II राज्यों के योजना निवेशों का वित्त पोषण

2.21 इस खण्ड में, पिछले खण्ड में यथावर्चित गैरध्व्योजना परिव्यय का योजना खर्च के रूप में संभावित मिथ्या निरूपण को दृष्टि में रखते हुए राज्यों के योजना निवेश के वित्त पोषण का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार यह संभव है कि योजना निवेश के लिए उपलब्ध संसाधनों का आकार, केवल नई स्कीमों के लिए ही न हो। कुल योजना संसाधनों के रूप में उल्लिखित योजना निवेश के लिए उपलब्ध संसाधनों में निम्नलिखित शामिल समझे जाते हैं -

- राज्यों का अपना गैरऋण अंशदान: इसमें गैरध्व्योजना राजस्व लेखा (वर्तमान राजस्व शेष) और गैरध्व्योजना पूंजीगत निवल व्यय की गैरऋण पूंजीगत प्राप्तियां (ऋण की अदायगी को छोड़कर) शामिल हैं।
- केन्द्र से राजस्व योजना अंतरण: इसमें राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुदान घटक और केन्द्र प्रायोजित/केन्द्र योजना/एन.ई.सी. निक्षेपण शामिल हैं।
- निवल ऋण प्राप्तियां ः इसमें राज्य सरकारों के सकल वित्तीय घाटों के वित्त पोषण के लिए केन्द्र सहित विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली निवल उधारियां शामिल हैं।

2.22 उपर्युक्त के संदर्भ में सूचना, भारतीय रिजर्व बैंक के राज्य वित्त संबंधी दस्तावेजों से ली गई है जो राज्यों के बजट की रिपोर्ट देता है। यह सूचना, पांचवीं से नौवीं योजना तक की अवधि कवर करती है। दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच कुछ वार्षिक योजनाएं, आसपास रखी गई थीं। तथापि, ये वार्षिक योजनाएं, इस आधार पर पिछली पंचवर्षीय योजना में विलय कर दी गई है कि नई पंचवर्षीय योजना में नीति में परिवर्तन करने से पूर्व, किसी पंचवर्षीय योजना की नीतियां, अगली वार्षिक योजना में

जारी रखी जायेंगी। कुल योजना संसाधनों के उपायों में शामिल न की गई एक महत्वपूर्ण बात राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जुटाए गए आंतरिक प्राप्तियां और बजटेतर संसाधन हैं। इस संबंध में उपलब्ध आंकड़े राज्यों के बीच तुलनीय नहीं पाए गए थे। अतः कुल योजना संसाधनों के उपाय केवल राज्यों की योजना के लिए बजटीय समर्थन को दर्शाते हैं।

2.23 जैसाकि सारणी 2.1 से विदित होता है कि पांचवीं से छठी योजना में आरंभिक वृद्धि के बाद राज्यों के कुल योजना संसाधनों में सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में गिरावट आ रही है। इसकी विवेचना, उत्पादक क्षमताओं के सृजन के प्रति प्रयासों में वृद्धि के रूप में राज्य सरकारों की धूमिल उपस्थिति दर्शाने के रूप में की जा सकती है। तथापि, जैसाकि उल्लेख किया गया है उपर्युक्त सारणी में कुल योजना संसाधनों के उपायों में राज्य गारंटियां जारी करने से प्राप्त बजटेतर संसाधन शामिल नहीं हैं। वास्तव में बजटेतर संसाधनों में आठवीं और नौवीं योजना के दौरान महत्वपूर्ण अंशदान करना शुरू कर दिया था, क्योंकि लगभग इसी समय बजटीय योजना संसाधनों में गिरावट आ रही थी। आठवीं योजना में जारी की गई राज्य की कुल गारंटियां, सकल घरेलू उत्पाद का 0.4 प्रतिशत थीं जो नौवीं योजना के पहले तीन वर्षों में अत्यधिक बढ़कर 1.2 प्रतिशत हो गईं। यद्यपि, व्यापक रूप से यह दर्शाया गया है कि राज्य सरकारों के शताब्दी के पिछले दशक के बजटीय संसाधनों में गिरावट की प्रवृत्ति थी, लेकिन इसे बजटेतर संसाधनों में वृद्धि होने से कुछ समर्थन मिला था। वास्तव में शताब्दी के अंत में उत्पादक क्षमता के निर्माण का कार्य सरकारी कोष की बजाय, सरकार समर्थित एजेंसियों को अधिकाधिक रूप से सौंपा जाना शुरू हो गया है।

2.24 पांचवी योजना से राज्यों का अपना ऋण इतर अंशदान राज्य सरकारों के कुल योजना संसाधनों के प्रति इसके अंशदान में गिरावट की प्रवृत्ति दिखा रहा है। तथापि, सातवीं योजना के लिए अन्य स्रोतों से वित्त पोषण में हुई वृद्धि द्वारा इस गिरावट का प्रभाव निष्क्रिय हो गया। आठवीं योजना में राज्यों के अपने गैर-ऋण अंशदान में गिरावट के साथ अन्य स्रोतों से वित्त पोषण के

सारणी 2.1
समूची योजना संसाधन और वित्त पोषण


(सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)

समग्र योजना संसाधन	राज्य का अपना ऋण इतर अंशदान	केन्द्र से राजस्व योजना अंतरण	निवल ऋण प्राप्तियां
V योजना	4.3 (27.9)	1.1 (25.6)	2.0 (46.5)
VI योजना	5.1 (11.8)	0.6 (29.4)	3.0 (58.8)
VII योजना	5.1 (7.8)	0.4 (33.3)	3.0 (58.9)
VIII योजना	4.2 (0.0)	1.6 (38.1)	2.6 (61.9)
IX योजना	3.7 (- 40.5)	1.2 (32.4)	4.0 (108.1)

टिप्पणी- कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े, समूचे योजना संसाधनों में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

स्रोत :- राज्य वित्त संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दस्तावेज।

अंशदान में भी गिरावट हुई थी। इससे समूचे योजना संसाधनों में कमी आई थी। यद्यपि, नौवीं योजना में वित्त पोषण के अन्य संसाधन सभी समय से अधिक हो गए थे, लेकिन राज्यों के अपने गैर-ऋण अंशदान में गंभीर गिरावट होने के कारण हासिल किया गया योजना आकार सभी समय से कम था। अतः यह मध्यावधि परिप्रेक्ष्य में इस बात का अनुसरण करता है कि योजना आकार में वृद्धि को तब तक बनाए नहीं रखा जा सकता है, जब तक कि राज्यों के अपने गैर-ऋण अंशदान में वृद्धि नहीं होती है।



2.25 जैसाकि सारणी 2.1 में दर्शाया गया है, वित्त पोषण के अन्य स्रोतों में केन्द्र से राजस्व योजना अंतरण, पांचवीं से सातवीं योजना तक बढ़ता गया और उसके बाद नौवीं योजना में गिरकर लगभग पांचवीं योजना के स्तर पर आ गया। यह प्रवृत्ति केन्द्रीय करों के हिस्से में भी दिखाई दी थी (इस पर अध्याय के बाद के भाग में चर्चा की जाएगी)। हालांकि केन्द्रीय करों का हिस्सा बाद में गिरकर पांचवीं योजना के स्तर पर नहीं आया था। इन दो बातों से केन्द्रीय स्तर पर बजटीय बाधाओं के कड़े होने का पता चलता है। केन्द्र में कड़ी बजटीय बाधाओं के कारण उत्पन्न हुई स्थिति में केन्द्रीय राजस्व अंतरण राज्यों के अपने गैर-ऋण अंशदान में आ रही गिरावट को नहीं रोक सकता, राज्य अपनी योजना के आकार को बचाने के लिए ऋण प्राप्तियों की ओर तकते हैं।

2.26 राज्य सरकारों की निवल ऋण प्राप्तियां, पांचवीं योजना की तुलना में छठी योजना में गैर-ऋण अंशदान में हुई गिरावट की प्रतिपूर्ति करने से अधिक थी। सातवीं योजना में योजना संसाधनों के लिए ऋण और गैर-ऋण प्राप्तियों का संबंधित अंशदान छठी योजना के स्तर पर बनाए रखा गया था। तथापि, आठवीं योजना में गैर-ऋण अंशदान के साथ-साथ निवल ऋण प्राप्तियों में गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप योजना संसाधनों में भी गिरावट आई। इस अवधि में केन्द्रीय स्तर पर आवश्यक हो गए वित्तीय सुधारों के कड़े उपायों

के कारण राज्य स्तर पर भी निवल ऋण प्राप्तियों में गिरावट आई। वास्तव में केन्द्रीय सहायता का ऋण घटक, जिसमें सातवीं योजना में ही गिरावट आनी शुरू हो गई थी, आठवीं योजना में महत्वपूर्ण रूप से कम हो गया। आठवीं योजना में राज्यों की अपनी पूंजीगत प्राप्तियों में भी गिरावट आई, जो राज्य सरकारों की सांविधिक तरलता अनुपात आधारित उधारियों तथा वित्तीय संस्थानों से समझौता हुए ऋणों में आई कमी को दर्शाता है। नौवीं योजना के दौरान, निवल ऋण प्राप्तियां बहुत अधिक बढ़ गईं और ऐसा पूर्णतया राज्य की अपनी पूंजीगत प्राप्तियों में वृद्धि होने के कारण हुआ था। ऐसा राज्यों के बाजार उधारी कार्यक्रमों, वित्तीय संस्थाओं से लिए गए समझौता ऋणों और लघु बचत में एकत्रित राशि में महत्वपूर्ण संवृद्धि पर नियंत्रण में कमी आने के परिणामस्वरूप हुआ था। तथापि, संशोधित वेतनमान के बकाया के इकट्ठा हो जाने के कारण राज्य की भविष्य निधियों में निवल वृद्धि इसका अधिक विशिष्ट कारण कहा जा सकता है। तथापि, निवल ऋण प्राप्तिओं में वृद्धि होने के बावजूद योजना संसाधनों में तेजी से आई गिरावट को नहीं रोका जा सका था।

2.27 सारणी 2.1 में दी गई निवल ऋण प्राप्तियां, सकल वित्तीय घाटे को दर्शाती हैं। यह पांचवीं योजना से छठी योजना में एक प्रतिशत अंक बढ़ गया, सातवीं योजना के दौरान, उसी स्तर पर बना रहा तथा केन्द्र के स्तर पर शुरू किए गए वित्तीय सुधारों के प्रभाव के कारण आठवीं योजना में यह गिर गया। मुख्यतया वेतन आयोग के प्रभाव के कारण नौवीं योजना में यह 1 प्रतिशत अंक से अधिक बढ़ गया। यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि वेतन आयोग के प्रभाव को छोड़ दिया जाए तो राज्य सरकारों के सकल वित्तीय घाटे में गिरावट आनी जारी रही होती। यह अनुमान लगाया जाता है कि चूंकि वेतन आयोग का प्रभाव भविष्य में धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा, इसलिए सकल वित्तीय घाटे में फिर गिरावट की प्रवृत्ति आ जाएगी और इससे गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिए संसाधन संबंधी बाधाएं हल हो जाएंगी।

2.28 सरकार का अपने बकाया ऋणों में गिरावट करने का लचीलापन भी छठी योजना से कम हो गया और यह फिर नौवीं योजना में बढ़ गया। इसका पता सकल घरेलू उत्पाद के प्रति प्राथमिक घाटे के अनुपात द्वारा चलता है जो छठी योजना के 2.1 प्रतिशत से गिर कर सातवीं में 1.6 प्रतिशत रह गया और आठवीं में 0.8 प्रतिशत रह गया, लेकिन नौवीं योजना में यह पुनः बढ़कर 1.9 प्रतिशत हो

गया। पुनः वेतन आयोग के प्रभाव को छोड़कर प्राथमिक घाटे के भविष्य में और नीचे आ जाने की आशा की जा सकती है। यद्यपि, प्राथमिक घाटे के स्तर पर गिरावट आने से कुछ विकास परिचय प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि ऋण की ब्याज लागत को पूरा करने के लिए निवल ऋण प्राप्तियां जारी करनी होंगी, इसलिए यदि यह नीति गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा घरेलू बचत के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में सहायता करती है, तो इसे पूर्ववर्तिता दी जानी होगी।

2.29 सारणी 2.1 योजना के लिए राज्यों के अपने गैर ऋण इतर अंशदान में लगातार गिरावट दर्शाती है। इस गिरावट की और जांच करने के लिए राज्यों के अपने ऋण इतर अंशदान, जो वर्तमान राजस्व शेष हैं, के प्राथमिक घटक के व्यवहार को देखना होगा। राज्यों की गैर-योजना राजस्व प्राप्तिओं से गैर-योजना राजस्व खर्च घटा कर निकाला वर्तमान राजस्व शेष, राज्यों के योजना संसाधनों के लिए राजस्व समर्थन का प्रमुख स्रोत है। सारणी 2.2 में वर्तमान राजस्व शेष का गैर-योजना राजस्व प्राप्ति, गैर-योजना राजस्व खर्च और उनके संबंधित घटकों में ब्यौरा दिया गया है।

2.30 सारणी 2.2 इस बात की पुष्टि करती है कि मूल रूप से यह वर्तमान राजस्व शेष था जिसने राज्यों का अपना ऋण इतर अंशदान धीरे-धीरे कम किया और अंततः यह नौवीं योजना में नकारात्मक स्तर पर पहुंच गया। आठवीं योजना से वर्तमान राजस्व शेष भी नकारात्मक हो गया। छठी योजना में जब योजना संसाधनों के लिए राजस्व समर्थन के रूप में गैर-योजना राजस्व खर्च का वर्तमान राजस्व शेष, लगभग 13 प्रतिशत था, इसमें नौवीं योजना में वित्त पोषण के अन्य संसाधनों से इसी प्रतिशत में राशि गई। पांचवीं, छठी और सातवीं योजनाओं के दौरान वर्तमान राजस्व शेष और गिर गया लेकिन यह सकारात्मक बना रहा। ऐसा इस तथ्य के बावजूद था कि सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्यों के गैर-योजना राजस्व प्राप्ति और गैर-योजना राजस्व खर्च पांचवीं से सातवीं योजना तक 1.4 प्रतिशत अंक बढ़ गए। तथापि, चूंकि पांचवीं योजना में गैर-योजना राजस्व खर्च, राज्यों के गैर-योजना राजस्व प्राप्ति से नीचे के स्तर पर था इसलिए सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में इसी प्रकार की वृद्धि से गैर-योजना राजस्व खर्च की उच्च प्रतिशत संवृद्धि हुई। सातवीं और नौवीं योजना के बीच में गैर-योजना राजस्व खर्च में केवल 0.8 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई थी। तथापि, राज्यों के गैर-योजना राजस्व प्राप्ति में लगभग 1.0 प्रतिशत अंक की गिरावट होने के कारण वर्तमान राजस्व शेष में गिरावट आनी जारी रही।

सारणी 2.2
वर्तमान राजस्व शेष

(सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में)


	V योजना	VI योजना	VII योजना	VIII योजना	IX योजना
I. गैर-योजना राजस्व प्राप्तियां	9.0	9.6	10.4	10.1	9.4
केन्द्रीय करों में हिस्सा	2.0 (22.2)	2.4 (25.0)	2.6 (25.0)	2.5 (24.8)	2.4 (25.5)
राज्यों के अपने कर	4.4 (48.9)	4.9 (51.0)	5.4 (51.9)	5.3 (52.5)	5.2 (55.3)
राज्यों के अपने कर इतर राजस्व	2.0 (22.2)	2.0 (20.8)	1.9 (18.3)	1.9 (18.8)	1.5 (16.0)
गैर-योजना अनुदान	0.6 (6.7)	0.3 (3.2)	0.5 (4.8)	0.4 (3.9)	0.3 (3.2)
II. गैर-योजना राजस्व खर्च	7.6	8.5	10.0	10.3	10.8
ब्याज भुगतान	0.8 (10.5)	0.9 (10.6)	1.5 (15.0)	1.9 (18.4)	2.1 (19.4)
पेंशन भुगतान	0.2 (2.6)	0.3 (3.5)	0.6 (6.0)	0.6 (5.8)	1.0 (9.3)
अन्य गैर-विकास	1.6 (21.1)	1.7 (20.0)	1.7 (17.0)	2.0 (19.4)	1.8 (16.7)
विकास	4.9 (64.5)	5.5 (64.7)	6.1 (61.0)	5.7 (55.3)	5.7 (52.8)
स्थानीय निकाय	0.1 (1.3)	0.1 (1.2)	0.1 (1.0)	0.1 (1.1)	0.2 (1.8)
III. गैर-योजना राजस्व खाता-वर्तमान राजस्व शेष (I - II)	1.4 (118.4)	1.1 (112.9)	0.4 (104.0)	(-) 0.2 (98.1)	(-) 1.4 (87.0)

टिप्पणी :- कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं। वर्तमान राजस्व शेष के अधीन कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े राज्यों के गैर-योजना राजस्व खर्च पर राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत दर्शाते हैं।


2.31 आदर्शतः गैर-योजना राजस्व खर्च के विगत में 1.4 प्रतिशत अंक की महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल कर लेने के बाद इसमें भी गिरावट आनी चाहिए थी। तथापि, सातवीं और नौवीं योजनाओं के बीच ब्याज और पेंशन भुगतान को छोड़कर अन्य मदों के संबंध में लगभग 0.2 प्रतिशत अंक की गिरावट हुई थी, यद्यपि, इन मदों का स्तर पांचवीं योजना के स्तर पर बहाल करने के लिए 1.3 प्रतिशत अंक की गिरावट अपेक्षित थी। पेंशन और ब्याज भुगतान में वृद्धि, जो सातवीं और नौवीं योजनाओं के बीच 1.0 प्रतिशत अंक के आसपास थी, उस गिरावट को समाप्त करने से

अधिक थी जो अन्य मदों के संबंध में हुई थी। वास्तव में, पेंशन और ब्याज भुगतान मिलकर पांचवीं योजना के 1.0 प्रतिशत अंक से बढ़कर नौवीं योजना में 3.1 प्रतिशत हो गए। स्वभाविकतः "गैर-योजना राजस्व खर्च" (एन0पी0आर0ई0) में पेंशन और ब्याज भुगतान का हिस्सा पांचवीं योजना के 13 प्रतिशत से थोड़े अधिक से बढ़कर नौवीं योजना में लगभग 29 प्रतिशत हो गया। अंततः विचाराधीन अवधि में निवल ऋण प्राप्तियों में वृद्धि का राज्य सरकारों के ऋण सेवा दायित्वों पर कारगर प्रभाव पड़ा था। वित्तीय क्षेत्र में सुधार लागू करने के परिणामस्वरूप, सरकार की

उधारियां बाजार आधारित ब्याज दरों पर ली गई हैं और इससे राज्य सरकारों पर अधिक ब्याज का भार पड़ा है। इसके अलावा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की औसत आयु में वृद्धि होने से वेतन आयोग का प्रभाव भी बढ़ा था जिससे पेंशन दायित्वों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी। अतः पेंशन और ब्याज भुगतानों के बढ़ते हुए भार को खपाने के लिए विकास खर्च प्रभावित हुआ था और इसका गैर-योजना राजस्व खर्च में हिस्सा पांचवी योजना के 64.5 प्रतिशत से गिरकर नौवी योजना में 52.8 प्रतिशत रह गया।



2.32 सातवी योजना से राज्यों के गैर-योजना राजस्व प्राप्ति में गिरावट कमोबेश इसके सभी प्रमुख घटकों के लिए थी। किन्तु, इसका प्रभाव राज्यों के अपने कर राजस्व और केन्द्रीय करों में हिस्से पर सबसे ज्यादा महसूस किया गया था, क्योंकि ये दोनों मिलकर राज्यों की गैर-योजना



राजस्व प्राप्ति का 75 प्रतिशत से अधिक होते हैं। सातवी और नौवी योजनाओं के बीच इन दोनों घटकों में से प्रत्येक 0.2 प्रतिशत अंक गिर गया, जो कर संग्रहण और कर संभाव्य के बीच बढ़ते हुए अंतर को दर्शाता है। वास्तव में केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र के हिस्से में अत्यधिक संवृद्धि होने के कारण कर संभाव्य बढ़ गया है। इस तथ्य, कि अभी भी व्यापक सेवा कर लागू नहीं है, से कर आधार का धीरे-धीरे कम होने का पता चलता है। केन्द्र और राज्य, दोनों के करों के पूर्ण संभाव्य का लाभ उठाने के लिए कर आधार का विस्तार करना आवश्यक होगा।

2.33 वर्तमान राजस्व शेष अथवा गैर-योजना राजस्व खाते में गिरावट होने से योजना संसाधनों में गिरावट हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है, यह गिरावट आवर्ती प्राप्तियों के संबंध में आवर्ती खर्च में गिरावट तक हो। यद्यपि, यह सकारात्मक गिरावट है, लेकिन गैर-योजना राजस्व खाते के आवर्ती खर्च का वित्त पोषण अभी भी केवल आवर्ती प्राप्तियों से होता है, और यह पूंजीगत व्यय से निवल ऋण प्राप्तियों के विपथन को रोकता है। ऐसा तभी होता है जब गैर-योजना राजस्व खाता नकारात्मक हो जाता है, जो ऋण प्राप्तियों के उपयुक्त प्रयोग के लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे कि योजना आकार का छोटा होना महत्वपूर्ण होता है। तथापि, गैर-योजना राजस्व खाते में घाटा होने पर भी आवर्ती खर्च का पूर्ण वित्त पोषण, आवर्ती प्राप्तियों से किया जा सकता है, यदि राजस्व योजना खाते में इसे पूरा करने के लिए अधिशेष मौजूद हो। राजस्व योजना खाता केन्द्रीय राजस्व योजना अंतरण में से राज्य योजना का राजस्व घटक घटा कर बची राशि होती है। एकीकृत रूप से यदि राजस्व योजना खाते में घाटा मौजूद होता है, तो इसका उस समय कोई प्रभाव नहीं होता है, जब गैर-योजना राजस्व खाते में इसे पूरा करने के लिए अधिशेष मौजूद होता है। हर हालत में समग्र राजस्व खाता, गैर-नकारात्मक होना चाहिए, ताकि आवर्ती प्राप्तियों द्वारा आवर्ती खर्च को पूर्णतया पूरा किया जा सके और निवल ऋण प्राप्तियों का पूंजीगत व्यय में पूर्णतया उपयोग किया जा सके। सारणी 2.3 पांचवी योजना से राज्यों की राजस्व खाते की स्थिति दर्शाती है, जिसमें इसे गैर-योजना और योजना राजस्व खाता, दोनों घटकों में विभाजित किया गया है।

सारणी 2.3 राज्यों के राजस्व खाते की स्थिति

(सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)

	V	VI	VII	VIII	IX
	योजना	योजना	योजना	योजना	योजना
I. गैर-योजना					
राजस्व खाता	1.4	1.1	0.4	(-) 0.2	(-) 1.4
II. केन्द्रीय राजस्व					
योजना अंतरण	1.1	1.5	1.7	1.6	1.2
III. राज्य योजना					
का राजस्व घटक	1.4	2.2	2.6	2.2	2.0
IV. योजना					
राजस्व खाता					
(II - III)	(-) 0.3	(-) 0.7	(-) 0.9	(-) 0.6	(-) 0.8
V. समूचा					
राजस्व खाता					
(I + IV)	1.1	0.4	(-) 0.5	(-) 0.8	(-) 2.2


2.34 पांचवीं योजना से राज्यों के समग्र राजस्व खाते में गिरावट आ रही है। तथापि, पांचवीं और छठी योजनाओं में यह सकारात्मक था और सातवीं योजना से यह नकारात्मक हो गया है। जैसाकि सारणी 2.3 से विदित होता है, यह अधिशेष, गैर-योजना राजस्व खाते में अधिशेष होने के कारण संभव हुआ था, क्योंकि संपूर्ण विचाराधीन अवधि के दौरान योजना राजस्व खाता घाटे में रहा। वास्तव में, सातवीं योजना में योजना राजस्व खाते में घाटा, गैर-योजना राजस्व खाते के अधिशेष से काफी अधिक था और विचाराधीन अवधि में पहली बार समग्र राजस्व खाते में घाटा हुआ। तत्पश्चात गैर-योजना राजस्व खाते में भी घाटा आ गया। इसके परिणामस्वरूप समग्र राजस्व खाते की स्थिति ऐसी हो गई कि संतुलन बनाने के लिए इसके किसी भी घटक में अधिशेष नहीं रहा।

2.35 यद्यपि, समग्र राजस्व खाता संतुलन प्राप्त करने की आवश्यकता पर अंततः जोर दिया जाता है, लेकिन आदर्शतः दोनों घटकों के संबंध में अलग-अलग संतुलन लक्षित किया जाना चाहिए। गैर-योजना राजस्व खाते के संबंध में संतुलन का तात्पर्य यह है कि राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियां, विगत के आवर्ती खर्च के दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होती हैं। योजना राजस्व खाते के संबंध में संतुलन का तात्पर्य

यह है कि अतिरिक्त उत्पादक क्षमताओं के सृजन से उत्पन्न होने वाले राजस्व खर्च का भार संबंधित योजना अवधि में पूर्णतया केन्द्र द्वारा वहन किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र ने अपनी वचनबद्धताओं को पूरा किया है, क्योंकि राजस्व योजना अंतरण जो पांचवीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद का 1.1 प्रतिशत अंक था, वह बढ़कर सातवीं योजना में 1.7 प्रतिशत अंक हो गया, जो 0.6 प्रतिशत अंक की वृद्धि है। तथापि, राज्य योजना का राजस्व घटक इसी अवधि में 1.4 से बढ़कर 2.6 प्रतिशत अंक हो गया जो 1.2 प्रतिशत अंक की वृद्धि है। इसके लिए दो स्पष्टीकरण संभव हैं। एक, जैसी कि पहले चर्चा की गई है, राज्यों ने अपनी राजस्व योजना वचनबद्धताओं की उपयुक्त राशि को योजना अवधि के अंत में गैर-योजना के लिए अंतरित नहीं किया था। यदि ऐसा हुआ होता, तो योजना राजस्व खाते का घाटा कम हो गया होता, हालांकि गैर-योजना राजस्व खाते का अधिशेष भी उतनी ही राशि तक कम हो गया होता। यद्यपि समग्र राजस्व खाते की स्थिति अपरिवर्तित रही होती, तो राजस्व खाते में घाटा पैदा करने की जिम्मेदारी राज्यों पर अधिक होती। दो, अतिरिक्त उत्पादक क्षमताओं के लिए राजस्व योजना स्कीमों में उस सीमा से अधिक बढ़ गई होती जिसके लिए केन्द्र राजस्व योजना अंतरण में अनुमति थी। यदि ऐसा हुआ था तो यह अतिक्रमण की ओर संकेत करता है, जिसका राज्यों ने उत्पादक क्षमताओं के सृजन में वृद्धि करने के लिए अपने राजस्व परिव्यय को उस सीमा तक सीमित नहीं करने के लिए प्रयोग किया था, जो सीमा केन्द्र राजस्व योजना अंतरणों द्वारा तय की गई थी।

2.36 सातवीं और नौवीं योजनाओं के बीच केन्द्रीय राजस्व योजना अंतरण, सकल घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत अंक गिर गया। इसके प्रति, राज्य योजना का राजस्व घटक 0.6 प्रतिशत अंक गिर गया। तथापि, नौवीं योजना में भी राजस्व योजना खाता, पिछला अत्यधिक घाटा मिलने के कारण नकारात्मक बना रहा। राजस्व योजना घटक में गिरावट, गैर-योजना के रखरखाव खर्च के अंतरण के कारण नहीं आई होगी। सारणी 2.2 में वर्णित गैर-योजना खाता, इस प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं दर्शाता है। वास्तव में यह समग्र योजना खर्च के आकार में कमी आने का तथ्य था, जिसने नई राजस्व योजना स्कीमों की वृद्धि को कमजोर रखा। तथापि, यह कमजोरी, पूंजीगत खर्च के अंतर्गत अधिक थी, क्योंकि समग्र योजना खर्च के प्रतिशत के रूप में राजस्व योजना घटक, सातवीं योजना के 50.9 प्रतिशत से बढ़कर नौवीं योजना में 53.4 प्रतिशत हो गया था। यदि राजस्व योजना परिव्यय को इतनी अधिक

प्राथमिकता मिलनी जारी रहे तो केन्द्र से दिए जाने वाले राजस्व अंतरणों में भविष्य में महत्वपूर्ण वृद्धि करनी अपेक्षित होगी।



2.37 राज्यों के राजस्व खाते में बढ़ता हुआ घाटा, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दी जाने वाली बढ़ती हुई सहायता के कारण भी था। यहां एक विचारणीय मामला, राज्य विद्युत बोर्डों का है। राज्य विद्युत बोर्डों का गठन, भारतीय योजना बनाने के इतिहास में बहुत पहले कई राज्यों द्वारा किया गया था। तथापि, उनके कार्य निष्पादन की क्षमता का संतुलन, महत्वपूर्ण रूप से राज्यों द्वारा प्रदान किए गए निरंतर बजटीय समर्थन पर टिका हुआ था, यह समर्थन या तो उनके प्रचालन घाटे को पूरा करने अथवा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन की आवश्यकताओं, या दोनों के लिए दिया जाता था। समय बीतने के साथ यह महसूस किया गया था कि चूंकि राज्य विद्युत बोर्ड, मूल रूप से वाणिज्यिक प्रचालनों में लगे हुए हैं, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि उन्हें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास नहीं करने चाहिए। अतः इस बात का तात्पर्य यह है कि राज्य विद्युत बोर्डों को न केवल अपने प्रचालनात्मक घाटे को समाप्त करना चाहिए, बल्कि उन्हें उनमें नियोजित पूंजी पर न्यूनतम लाभ भी अर्जित करना चाहिए, ताकि परिसम्पत्ति सृजन के लिए उधारियां लेने हेतु पर्याप्त वित्तीय मजबूती का प्रदर्शन किया जा सके।

2.38 यह सुझाव देने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, कि

राज्य विद्युत बोर्ड उनके लिए उल्लिखित परिणाम हासिल करने के प्रयासों में विफल हुए हैं। तथापि, उस विधि का पता लगाने का मुद्दा विवादास्पद है जिस विधि से राज्यों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राज्यों का ऊर्जा क्षेत्र पर बजटीय खर्च, इस संबंध में संकेत प्रदान करता है, विशेष तौर पर, राज्यों के सकल वित्तीय घाटे में ऊर्जा खर्च के हिस्से का प्रतिशत उस सीमा को दर्शाता है जिस सीमा तक ऊर्जा क्षेत्र ने राज्य सरकारों के लिए उधार लेने के कार्यक्रम बनाना आवश्यक कर दिया था।

2.39 जैसाकि सारणी 2.4 में दर्शाया गया है, सकल वित्तीय घाटे में ऊर्जा खर्च के हिस्से में पांचवी योजना से गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई देती है। यह हिस्सा, पांचवी योजना में 49.4 प्रतिशत से गिरकर नौवीं योजना में 20.2 प्रतिशत रह गया। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ऊर्जा क्षेत्र से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण ऐसे अन्य कारण थे जिनसे राज्यों को उधार लेना पड़ा। तथापि, यदि ऊर्जा परिव्यय के योजना और गैर-योजना घटकों का अलग-अलग अवलोकन किया जाए तो यह पता चलता है कि योजना घटक में ही गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जबकि गैर-योजना घटक में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य अपने विद्युत बोर्डों के वर्तमान खर्च को चलाने को उच्चतर प्राथमिकता प्रदान करने के प्रति, राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा चलाई गई नई स्कीमों का वित्त पोषण करने के लिए अधिकाधिक रूप से अनिच्छुक थे। ऊर्जा खर्च के राजस्व - पूंजीगत ब्यौरे, इस तथ्य का और समर्थन करते हैं। सकल वित्तीय घाटे में ऊर्जा संबंधी राजस्व खर्च का बढ़ता हुआ हिस्सा, राज्य विद्युत बोर्डों के बढ़ते हुए प्रचालनात्मक घाटे का संकेत देता है, जिन घाटों की प्रतिपूर्ति राज्य सरकारों द्वारा की गई थी। तथापि, राज्यों ने ऊर्जा संबंधी पूंजीगत खर्च को कम करके इसकी भरपाई की। इस प्रकार पांचवी योजना से, यद्यपि राज्य, ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए धन मुहैया कराने में ऋण पर अपनी निर्भरता अपेक्षाकृत रूप से कम कर सके थे, लेकिन बजटीय समर्थन की गुणवत्ता बढ़ने से बदतर हो गई। राज्यों के वित्त, बढ़ते हुए प्रचालनात्मक घाटों के कारण अनुत्पादक हो गए थे, जिनसे ऊर्जा संबंधी पूंजीगत खर्च में गिरावट आई।

2.40 यद्यपि, पांचवी योजना से सकल वित्तीय घाटे की तुलना में ऊर्जा संबंधी राजस्व खर्च बढ़ गया था, लेकिन इसका प्रभाव राज्यों के समग्र वर्तमान राजस्व शेष पर बहुत बाद में आठवी योजना तक महसूस किया गया था। इस प्रकार

ऊर्जा संबंधी गैर-योजना राजस्व खर्च, पांचवीं योजना में वित्तीय घाटे का 4.8 प्रतिशत था, जबकि सकारात्मक वर्तमान राजस्व शेष 68.9 प्रतिशत था। आठवीं योजना में ऊर्जा संबंधी गैर-योजना राजस्व खर्च, वित्तीय घाटे का 14.4 प्रतिशत था, जिसे 6 प्रतिशत के नकारात्मक वर्तमान राजस्व शेष बनाने के लिए महत्वपूर्ण कारण समझा जा सकता है। नौवीं योजना में ऊर्जा संबंधी गैर-योजना राजस्व खर्च, गिरकर 8.5 प्रतिशत रह गया, जबकि नकारात्मक वर्तमान राजस्व शेष 35.0 प्रतिशत था। यद्यपि, वर्तमान राजस्व शेष, अन्य महत्वपूर्ण कारणों से अत्यधिक नकारात्मक हो गया, लेकिन राज्यों की उधारियों में तेजी से हो रही वृद्धि के लिए राज्य विद्युत बोर्डों का योगदान भी पर्याप्त रूप से माना गया था।

सारणी 2.4
राज्यों का ऊर्जा खर्च

(सकल वित्तीय घाटे के प्रतिशत के रूप में)

	V	VI	VII	VIII	IX
	योजना योजना योजना योजना योजना				
योजना					
1. कुल खर्च	49.4	34.1	35.9	40.7	20.2
2. योजना खर्च	41.7	24.1	24.7	22.9	10.9
3. राजस्व खर्च	5.4	6.0	10.1	15.8	8.8
4. गैर-योजना राजस्व खर्च	4.8	5.6	8.3	14.4	8.5
5. समूचा वर्तमान राजस्व शेष	68.9	34.7	11.8	-6.0	-35.0

2.41 अंत में अस्सी के दशक के बाद के वर्षों की तुलना में शताब्दी के आखिर में राजस्व खाते की स्थिति और योजना संसाधनों के आकार में महत्वपूर्ण गिरावट दिखाई दी। केन्द्र और राज्य, दोनों स्तरों पर राजस्व में गिरावट की प्रवृत्ति आनी शुरू हुई, जो राज्य स्तर पर संशोधित वेतनमान लागू करने से और खराब हो गई। यद्यपि, राज्य स्तर पर संशोधित वेतनमान लागू करने की प्रेरणा केन्द्र से मिली थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों, संघीय ढांचे में संघ और राज्य सरकारों के बीच वेतन परिलब्धियों को समान करने की नीति का समर्थन नहीं करती हैं। यदि इन्हें समान किया जाता है तो यह ऐसी घटना है जो राज्य सरकारों की ठोस वित्तीय स्थिति से होती है। यदि वर्तमान राजस्व शेष की लगातार गिरावट को देखा जाए, तो भारतीय संदर्भ में इसे नकार दिया जाएगा। उधारियों

में अपेक्षा से अधिक वृद्धि होने के बावजूद, अंतिम परिणाम पूंजीगत खर्च में महत्वपूर्ण गिरावट होना है, जो उन अनुपयुक्तताओं को दर्शाता है, जिनके लिए उधारियां खर्च की गई थी। यद्यपि, इतना अधिक पूंजीगत खर्च नहीं हुआ था, लेकिन वित्तीय लाभ अत्यंत अपर्याप्त था जैसाकि सारणी 2.2 में गैर-कर राजस्व के गिरते हुए स्तर में दर्शाया गया है। जब ऋण सेवाओं के समतुल्य लाभ नहीं होता है तो ऋण का भार अत्यधिक बढ़ना ही होता है।

III. राज्यों के योजना निवेशों के वित्त पोषण का राज्यवार विश्लेषण

2.42 राज्य सरकारों के योजना संसाधनों, विशेष रूप से आठवीं योजना की तुलना में नौवीं योजना में संसाधनों का जुटाव किया जाना, विचारणीय राजकोषीय सरोकारों की तीन विशेषताओं के साथ जुड़ा है। एक, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए योजना संसाधनों/खर्च के हिस्से में गिरावट, जो आर्थिक संवृद्धि पर राज्य निवेश की गिरती हुई भूमिका का संकेत है। दो, योजना संसाधनों/खर्च के लिए निवल ऋण प्राप्तियां (सकल वित्तीय घाटा) का स्तर बढ़ना, जो गैर-योजना खर्च में हो रही तीव्र वृद्धि के कारण योजना संसाधनों के बढ़ते हुए ऋण घटक को दर्शाता है। और तीन, निवल ऋण प्राप्तियों(सकल वित्तीय घाटा) में राजस्व खर्च के हिस्से का बढ़ना, जो उधारियों के उपयोग में बढ़ती हुई अनुपयुक्तताओं को दर्शाता है।

2.43 इन विशेषताओं की जांच राज्यवार की गई है ताकि प्रत्येक राज्य के संगत कार्य निष्पादन को अलग-अलग किया जा सके। इस प्रयोजनार्थ राज्यों को चार श्रेणियों में समूहबद्ध किया गया है। प्रथम तीन श्रेणियों के समूह में सामान्य श्रेणी के राज्यों को रखा गया है जिसमें प्रत्येक की संख्या पांच है और इन्हें इस समूह में उनके प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर रखा गया है।

समूह क में उच्च आय वाले राज्य हैं जिनमें गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात शामिल हैं। समूह ख मध्य आय वाले तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान राज्य शामिल हैं।

समूह ग में कम आय वाले पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य शामिल हैं (चूंकि इस अध्याय में ली गई अध्ययन की अवधि, 1999-2000 में समाप्त हो गई थी, जो इन राज्यों के

विभाजन से पूर्व थी, इसलिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की अविभाजित स्थिति दर्शायी गई है। समूह घ में सभी विशेष श्रेणी के राज्य शामिल हैं (उत्तरांचल को छोड़कर)।

सारणी 2.5

प्रत्येक राज्य का योजना खर्च

(सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)

योजना खर्च/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	आठवीं नौवीं अंतर		
	योजना	योजना	
समूह क	4.0	3.7	-0.3
1. गोवा	6.2	5.5	-0.8
2. पंजाब	3.8	3.3	-0.5
3. महाराष्ट्र	4.1	3.5	-0.7
4. हरियाणा	4.4	4.3	-0.2
5. गुजरात	3.6	4.0	+0.4
समूह ख	5.1	4.8	-0.3
6. तमिलनाडु	3.8	3.5	-0.3
7. केरल	4.3	4.6	+0.3
8. कर्नाटक	5.9	5.3	-0.6
9. आंध्र प्रदेश	5.0	5.3	0.2
10. राजस्थान	6.7	5.8	-0.9
समूह ग	4.6	4.4	-0.2
11. पश्चिम बंगाल	3.5	3.5	0.0
12. मध्य प्रदेश	5.1	4.8	-0.3
13. उड़ीसा	7.5	7.4	-0.1
14. उत्तर प्रदेश	4.5	4.2	-0.2
15. बिहार	4.0	4.0	0.0
समूह घ	12.7	12.8	+0.1
16. अरुणाचल प्रदेश	38.3	37.0	-1.4
17. असम	6.5	6.3	-0.2
18. हिमाचल प्रदेश	14.1	15.9	+1.8
19. जम्मू व कश्मीर	14.4	14.2	-0.2
20. मणिपुर	20.4	20.2	-0.2
21. मेघालय	14.8	13.7	-1.1
22. मिजोरम	31.5	31.6	+0.1
23. नागालैण्ड	19.8	18.8	-1.1
24. सिक्किम	36.5	33.8	-2.7
25. त्रिपुरा	18.1	16.4	-1.7

2.44 सारणी 2.5 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद संवृद्धि पर योजना खर्च की गिरती हुई भूमिका की पुष्टि होती है। आठवीं योजना की तुलना में नौवीं योजना में विशेष श्रेणी के राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में योजना खर्च में गिरावट दर्ज की गई थी। तथापि, उच्च और मध्यम आय श्रेणियों की तुलना में समूह ग श्रेणी के कम आय वाले राज्यों में कम गिरावट दर्ज की गई थी। उच्च आय श्रेणी, समूह क में गोवा में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई थी और इसके बाद महाराष्ट्र इसके आसपास ही था। पंजाब सहित ये राज्य समूह औसत से नीचे थे। दूसरी ओर अपने समूह में गुजरात ने योजना संसाधनों को बेहतर रूप से जुटाव करने के प्रयास आसानी से परिलक्षित करके सराहनीय वृद्धि रिकार्ड की थी।

2.45 मध्य आय श्रेणी, समूह ख में राजस्थान में अधिकतम गिरावट रिकार्ड की गई और इसके बाद कर्नाटक में रिकार्ड की गई, जो समूह के औसत से काफी अधिक थी। चूंकि केरल ने योजना खर्च में वृद्धि रिकार्ड की थी, इसलिए यह अपने समूह में सर्वश्रेष्ठ रहा।

2.46 समूह ग में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गिरावट दर्ज की गई जबकि अन्य राज्यों ने नौवीं योजना में भी अपनी आठवीं योजना के खर्च प्रयासों को बनाए रखा।

2.47 विशेष श्रेणी, समूह घ में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा में महत्वपूर्ण गिरावट रिकार्ड की गई। तथापि, हिमाचल प्रदेश में हुआ सुधार अधिक महत्वपूर्ण था, जिससे वास्तव में नौवीं योजना में इस समूह के प्रयासों में मामूली वृद्धि हुई थी।

2.48 नौवीं योजना के मध्य में विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योजना खर्च का हिस्सा सर्वाधिक रिकार्ड किया गया है, इसके बाद समूह ख इससे बहुत पीछे है। इसके बाद समूह ग आता है तथा उसके बाद समूह क आता है। ये संगत स्थितियां वही थीं जो आठवीं योजना में थीं, जो विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए आर्थिक वृद्धि के संबंध में राज्य सरकार के निवेशों के निर्णायक महत्व को रेखांकित करता है लेकिन ऐसा अन्य श्रेणियों के मामले में नहीं हुआ है। यह तथ्य कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए योजना खर्च का अनुपात समूह क के लिए निम्नतम है और इस विचार के संगत है कि उच्च आय वाले राज्यों को उत्पादक क्षमताओं का निर्माण करने के प्रयोजनार्थ गैर - सरकारी निवेश को बढ़ावा देने में अग्रणी रहना चाहिए। इससे केन्द्र सरकार कम आय वाले तथा

अवसंरचना के रूप में कमजोर राज्यों में सरकारी निवेश की कमियों पर ध्यान केन्द्रित कर सकेगी।

सारणी 2.6

प्रत्येक राज्य का सकल वित्तीय घाटा

(योजना खर्च के प्रतिशत के रूप में)

	सकल वित्तीय घाटा/योजना खर्च		
	आठवीं योजना	नौवीं योजना	अंतर
समूह क	66.9	95.2	28.3
1. गोवा	43.5	70.3	26.8
2. पंजाब	113.1	153.1	40.0
3. महाराष्ट्र	60.4	89.8	29.3
4. हरियाणा	61.5	82.3	20.9
5. गुजरात	61.1	87.5	26.4
समूह ख	62.5	77.4	14.9
6. तमिलनाडु	63.9	84.8	20.9
7. केरल	77.6	96.4	18.8
8. कर्नाटक	49.4	59.6	10.3
9. आंध्र प्रदेश	62.9	68.1	5.1
10. राजस्थान	67.2	90.8	23.6
समूह ग	77.8	105.2	27.5
11. पश्चिम बंगाल	96.6	148.1	51.6
12. मध्य प्रदेश	45.1	61.2	16.1
13. उड़ीसा	69.1	86.2	17.1
14. उत्तर प्रदेश	94.0	121.6	27.6
15. बिहार	75.0	95.5	20.5
समूह घ	28.3	39.0	10.7
16. अरुणाचल प्रदेश	10.0	12.1	2.2
17. असम	28.7	36.3	7.6
18. हिमाचल प्रदेश	54.8	59.2	4.4
19. जम्मू व कश्मीर	10.5	35.1	24.5
20. मणिपुर	22.3	42.4	20.1
21. मेघालय	23.0	33.5	10.4
22. मिजोरम	23.6	29.5	5.9
23. नागालैण्ड	61.9	55.6	-6.3
24. सिक्किम	25.7	33.8	8.1
25. त्रिपुरा	21.5	28.7	7.2

2.49 सारणी 2.6 से पता चलता है कि यद्यपि, सभी राज्यों के लिए योजना संसाधनों के ऋण घटक में हुई वृद्धि सामान्य थी, लेकिन यह संवृद्धि उच्च आय श्रेणी, समूह क के मामले में उच्चतम रिकार्ड की गई थी, जो कम आय श्रेणी, समूह ग के लिए मामूली रूप से कम थी लेकिन मध्य आय श्रेणी समूह ख के लिए काफी कम थी। विशेष श्रेणी राज्य समूह घ में मामूली गिरावट रिकार्ड की गई थी।

2.50 समूह क में पंजाब ने गैर-योजना खर्च के लिए उधारियों के सर्वाधिक अनुपात का उपयोग किया था और हरियाणा में न्यूनतम उपयोग किया गया था। इस श्रेणी के अन्य सभी राज्य इन दोनों सीमाओं से समान दूरी पर थे। उच्च आय वाले राज्यों के योजना संसाधनों में वृद्धि करने में गैर-योजना खर्च, एक महत्वपूर्ण बाधा था।

2.51 समूह ख के लिए गैर-योजना खर्च में वृद्धि अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण बाधा थी। राजस्थान इस समूह में शीर्ष पर था जबकि आन्ध्र प्रदेश में न्यूनतम वृद्धि रिकार्ड की गई थी। वास्तव में आन्ध्र प्रदेश में गैर-विशेष श्रेणी के सभी राज्यों में न्यूनतम वृद्धि रिकार्ड की गई थी। शायद मध्य आय की श्रेणी में गैर-योजना खर्च की वृद्धि को, उधारियों में संवृद्धि करके काफी पीछे छोड़ दिया गया था।

2.52 समूह ग के लिए गैर-योजना खर्च में संवृद्धि की बाधा लगभग समूह क के समान ही महत्वपूर्ण थी। तथापि, पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण विकृति आई, क्योंकि इसकी संवृद्धि इसके संबंधित समूह में न केवल अत्यधिक थी, बल्कि सभी गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में भी सर्वाधिक थी। इस कम आय श्रेणी में मध्य प्रदेश में सबसे कम संवृद्धि रिकार्ड की गई थी।

2.53 समूह घ, विशेष श्रेणी राज्यों के लिए सकल वित्तीय घाटा/योजना खर्च में संवृद्धि बहुत निम्न थी। तथापि, गैर-योजना खर्च संवृद्धि का भार केन्द्र योजना के बड़े अनुदानों द्वारा वहन कर लिया गया होगा, जो गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केवल 30 प्रतिशत होता है, जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता 90 प्रतिशत होती है। वास्तव में नागालैण्ड में नकारात्मक संवृद्धि दर्ज की गई थी जिसका तात्पर्य यह है कि राज्य के लिए केन्द्रीय योजना का अनुदान बहुल्य अंतरण हुआ था। जम्मू और कश्मीर तथा मणिपुर में गैर-योजना खर्च में संवृद्धि, गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के समतुल्य हुई थी।

2.54 नौवीं योजना में अपनी उधारियों पर गैर-योजना खर्च की देयता का वहन किया गया भार, कम आय वाले राज्यों के लिए सर्वाधिक है। ऐसा इस तथ्य के बावजूद हुआ है कि सभी अन्य श्रेणियों की तुलना में इस श्रेणी के लिए केन्द्रीय ऋण अंतरण सर्वाधिक है, जैसा कि केन्द्रीय सहायता के आनुपातिक आकार से पता चलता है। गैर-योजना खर्च की काट-छांट और समेकन की आवश्यकता इस श्रेणी में अधिक महसूस की गई है।

2.55 अंत में, जैसाकि निवल ऋण प्राप्ति अथवा सकल वित्तीय घाटे में राजस्व घाटे के बढ़ते हुए हिस्से से परिलक्षित होता है, उधारियों के अनुपयुक्त उपयोग की जांच की जाती है। गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों में उच्च आय श्रेणी, समूह क में सर्वाधिक वृद्धि रिकार्ड की गई थी, इसके बाद कम आय, समूह ग में और सबसे कम वृद्धि मध्य आय, समूह ख में रिकार्ड की गई थी। इससे यह संकेत मिलता है कि जहां तक उधारियों के उपयुक्त उपयोग का संबंध है, उच्च आय श्रेणी अत्यधिक अविवेकी थी।

2.56 समूह क में और सभी सामान्य श्रेणी के राज्यों में भी अनुपयुक्त उपयोग में गोवा में सर्वाधिक संवृद्धि रिकार्ड की गई थी। वास्तव में गोवा के लिए राजस्व खाते का अंशदान महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया और यह आठवीं योजना में अत्यधिक अधिशेष से नौवीं योजना में घाटे में चला गया। गुजरात में दूसरे नम्बर की उच्च संवृद्धि रिकार्ड की गई थी जो गोवा से आधी थी। पंजाब में निम्नतम संवृद्धि रिकार्ड की गई थी।

2.57 समूह ख में आंध्र प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में कमोबेश एक जैसी ही संवृद्धि दर थी। वास्तव में आन्ध्र प्रदेश में नकारात्मक वृद्धि रिकार्ड की गई थी जो घटनाओं की प्रवृत्ति के प्रतिकूल थी और उधारियों का उन्नत रूप से उपयोग करने का संकेत थी। आन्ध्र प्रदेश, अपने प्रयास में सभी अन्य श्रेणियों के राज्यों से अलग था। समूह ख में केरल में उच्चतम संवृद्धि रिकार्ड की गई थी।

2.58 कम आय श्रेणी, समूह ग के राज्यों में बिहार का कार्य निष्पादन एक उदाहरण था क्योंकि यहां शून्य संवृद्धि रिकार्ड की गई थी और यह आन्ध्र प्रदेश के बाद दूसरे नम्बर पर था। इस समूह में मध्य प्रदेश में उच्चतम संवृद्धि रिकार्ड की गई थी।

2.59 विशेष श्रेणी के राज्यों में उच्चतम संवृद्धि रिकार्ड की गई थी जो किसी भी अन्य श्रेणी से कम से कम साढ़े तीन

सारणी 2.7

प्रत्येक राज्य का राजस्व घाटा

(सकल वित्तीय घाटे के प्रतिशत के रूप में)

	राजस्व घाटा/सकल वित्तीय घाटा		
	आठवीं योजना	नौवीं योजना	अंतर
समूह क	24.7	40.9	16.1
गोवा	-38.5	18.7	57.2
पंजाब	53.7	64.2	10.5
महाराष्ट्र	16.5	31.9	15.4
हरियाणा	38.9	53.3	14.5
गुजरात	10.6	36.4	25.7
समूह ख	33.5	46.0	12.5
तमिलनाडु	48.8	64.4	15.6
केरल	38.3	57.3	19.0
कर्नाटक	11.5	28.3	16.8
आंध्र प्रदेश	41.5	38.1	-3.4
राजस्थान	25.4	42.7	17.3
समूह ग	45.5	58.6	13.1
पश्चिम बंगाल	51.9	65.7	13.8
मध्य प्रदेश	33.3	51.2	17.9
उड़ीसा	43.2	57.8	14.6
उत्तर प्रदेश	44.1	57.9	13.8
बिहार	54.4	54.5	0.1
समूह घ	-72.8	-17.9	54.9
अरुणाचल प्रदेश	-490.0	-347.5	142.5
असम	-21.7	7.4	29.1
हिमाचल प्रदेश	27.2	43.0	15.8
जम्मू व कश्मीर	-558.0	-84.0	474.0
मणिपुर	-144.4	-28.6	115.9
मेघालय	-112.2	-48.0	64.2
मिजोरम	-104.5	-64.9	39.6
नागालैण्ड	21.4	16.1	-5.3
सिक्किम	-89.1	-33.6	55.5
त्रिपुरा	-90.5	-45.2	45.3

गुणी थी। ऐसा इस तथ्य के बावजूद हुआ था कि इस श्रेणी के लिए राजस्व खाते पर अधिशेष बनाए रखने के लिए भारी योजना अनुदान उपलब्ध थे। इस सिद्धांत को स्पष्ट करने का केवल एक कारण राजस्व योजना खर्च में महत्वपूर्ण संवृद्धि है जिसने आसानी से उनकी उधारियों में हुई संवृद्धि को पीछे छोड़ दिया। यद्यपि, समग्र राजस्व खाते के अंशदान में अधिशेष था, लेकिन यह संभव है कि पिछली योजना अवधियों के दौरान, योजना से गैर-योजना में प्रतिबद्ध देयताओं के अपर्याप्त अंतरण के कारण राजस्व योजना घटक महत्वपूर्ण रूप से बढ़ गया हो। योजना और गैर-योजना खर्च के बीच अंतर, अपर्याप्त अंतरणों के कारण धूमिल हो जाता है।

2.60 नौवीं योजना में सकल वित्तीय घाटे में राजस्व घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा, अभी भी कम आय श्रेणी, समूह ग में दिखाई पड़ रहा है। तथापि, जैसाकि पिछली चर्चा से विदित होता है, समूह घ और समूह क तेजी से इसकी ओर बढ़ रहे हैं और केवल मध्य आय श्रेणी के समूह ख में कुछ अनिच्छा दिखाई दे रही है।

2.61 अंत में, उच्च आय श्रेणी के राज्यों के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद संवृद्धि लागू करने में सार्वजनिक निवेश की भूमिका नगण्य है। ऐसा आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने का परिणाम हो सकता है, जिसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। इस प्रवृत्ति के अनुकूल उच्च आय वाले राज्यों को अतिरिक्त उत्पादक क्षमताओं का निर्माण करने के लिए निजी निवेश को बढ़ावा देना चाहिए, जबकि अपने संसाधनों का उपयोग मौजूदा क्षमताओं के समेकन के लिए करना चाहिए। यह देखते हुए कि अनुपातिक रूप में इन राज्यों की उधारियों का बहुत बड़ा भाग, उनकी गैर-योजना और राजस्व खर्च में व्यय हो जाता है, मौजूदा क्षमताओं का समेकन वर्तमान प्रवृत्ति के समतुल्य ही बना रहेगा। मध्य आय वाले राज्यों को उच्च आय वाले राज्यों के कदमों का अनुसरण भी करना चाहिए। यद्यपि, ऐसा करना कम आय वाले राज्यों के लिए भी वांछनीय है, लेकिन उनकी अवसंरचना संबंधी कमियां इतनी अधिक हैं कि सार्वजनिक निवेश की भूमिका महत्वहीन नहीं हो सकती है। कम आय वाले राज्यों के लिए गैर-योजना राजस्व अंतरण (केन्द्रीय करों का हिस्सा) में महत्वपूर्ण वृद्धि अपेक्षित होगी ताकि वे अपनी सामाजिक क्षेत्र, की जरूरतों, जो राजस्व खाते के उच्च घाटे में फँस रही हैं, को पूरा कर सकें। विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए सार्वजनिक निवेश महत्वपूर्ण बना हुआ है और इसलिए केन्द्रीय अंतरण बहुत आवश्यक हैं। ऐसे अंतरणों की अनिवार्यता को देखते हुए इन राज्यों के संसाधनों को केन्द्रीय करों में उनके हिस्से में वृद्धि करके, स्थायी रूप से मजबूत करने की

आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए राज्यों को उपयुक्त रूप से अपनी "वचनबद्ध देयताओं" को योजना से गैर-योजना में अंतरित करना चाहिए, ताकि क्षमता निर्माण के प्रति उनके नये प्रयासों को मौजूदा क्षमताओं के रखरखाव से अलग रखा जा सके।

IV. योजना निवेशों का क्षेत्रकीय (सेक्टरल) वितरण

2.62 विभिन्न आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों के बीच कुल योजना संसाधनों का आबंटन इसके आकार के निर्धारण के बाद अगला महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दा है। इस खण्ड में योजना संसाधनों के आबंटन का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें योजना खर्च को निम्नलिखित पांच व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:-

- शिक्षा और स्वास्थ्य: इसमें शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति, चिकित्सा, परिवार नियोजन, जन स्वास्थ्य और जल आपूर्ति तथा साफ सफाई शामिल हैं।
- कृषि और उद्योग: इसमें कृषि, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र के कार्यक्रम, उद्योग और खनिज शामिल हैं।
- अवसंरचना: इसमें सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा और सड़क तथा पुल शामिल हैं।
- अन्य सामाजिक और आर्थिक सेवाएं : इसमें मुख्य रूप से गृह निर्माण और शहरी विकास, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और पोषाहार कार्यक्रम तथा अवसंरचना क्षेत्रों के अलावा आर्थिक सेवाएं शामिल हैं।
- सामान्य सेवाएं : इसमें ऋण सेवा देना और स्थानीय निकायों को कार्य सौंपना शामिल हैं।

2.63 किसी क्षेत्र विशेष के लिए योजना खर्च जैसे खर्च में वृद्धि होने से अंततः इसके आवर्ती खर्च में वृद्धि होती है। जैसाकि पहले ही उल्लेख किया गया है, आवर्ती खर्च की उत्पत्ति विगत की उन नीतियों के संचयी प्रभाव में निहित होती है, जो उत्पादक क्षमताओं के सृजन के लिए तैयार की गई थीं और आज की तारीख में मौजूद होती हैं। किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत फिलहाल मौजूद क्षमताओं के रखरखाव की आवश्यकता से आवर्ती खर्च का स्वरूप तय होता है। इस प्रकार के आवर्ती खर्च का उल्लेख योजना-गैर-योजना वर्गीकरण के अंतर्गत गैर योजना खर्च के रूप में किया जाता है।

2.64 गैर-योजना खर्च के महत्व को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उस समय महत्वपूर्ण है जब इस अध्याय में योजना-खर्च का निर्धारण पांचवीं योजना से आगे

करने तक सीमित है। इस प्रकार पांचवीं योजना के प्रारंभ में जब आवर्ती खर्च पांचवीं योजना अवधि में गैर-योजना खर्च के रूप में आया था, तब इससे केवल वृद्धि दर्शाई गई थी जिसे पांचवीं योजना के अधीन योजना खर्च के रूप में प्रदान किया गया था। पांचवीं योजना के अंत में गैर योजना खर्च, जो अब पांचवीं योजना अवधि के योजना प्रयासों के लिए वाहक था, इसमें पांचवीं योजना में सृजित सुविधाओं संबंधी रखरखाव का खर्च शामिल था। इस प्रकार, यदि पांचवीं योजना के आरंभ में कृषि और उद्योग पर कुल खर्च सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत था और योजना के अंत में 3 प्रतिशत था, तो 1 प्रतिशत अंक की वृद्धि आदर्शतः योजना खर्च के रूप में सकल घरेलू उत्पाद का 1 प्रतिशत बनाती है।

2.65 तथापि, अक्सर ऐसा होता है कि 1 प्रतिशत अंक की वृद्धि किसी योजना खर्च तथा गैर योजना खर्च में वृद्धि/गिरावट का सम्मिश्रण होती है। जहां गैर-योजना खर्च बढ़ता है वहां यह नई सुविधाओं के सृजन की बजाय मौजूदा सुविधाओं को अधिक महत्व दिए जाने को दर्शाता है। और जहां यह कम होता है वहां यह नई सुविधाएं सृजित करने के लिए पुरानी सुविधाओं की छंटाई दर्शाता है। नोट करने लायक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि किसी क्षेत्र विशेष के लिए दो लगातार योजना अवधियों के बीच योजना खर्च में अंतर का आवश्यक रूप से यह तात्पर्य नहीं होता है कि दो समयावधियों के बीच क्षेत्रों को महत्व देने की नीति में कोई परिवर्तन आ गया है। क्षेत्रों को महत्व देने

संबंधी नीति में परिवर्तन का स्पष्ट रूप से उल्लेख कुल खर्च में अंतर के आधार पर किया जा सकता है।

2.66 कुल योजना वितरण संबंधी सारणी-2.8 से पता चलता है कि विचाराधीन संपूर्ण अवधि में शिक्षा और स्वास्थ्य पर योजना खर्च पांचवीं और छठी योजना के बीच 0.2 प्रतिशत अंक बढ़ गया था। यद्यपि, सारणी 2.9 से कुल खर्च में 0.5 प्रतिशत अंक की वृद्धि का पता चलता है, लेकिन इसकी विवेचना योजना की बजाय गैर योजना में क्षेत्रीय महत्व देने के रूप में की जा सकती है। इस विचाराधीन सम्पूर्ण अवधि में इसी प्रवृत्ति पर और अधिक बल दिया जाना दिखाई देता है क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य पर कुल खर्च 0.8 प्रतिशत अंक बढ़ गया था और योजना खर्च 0.2 प्रतिशत अंक बढ़ गया था। नई सुविधाएं सृजित करने की बजाय, मौजूदा सुविधाओं को अधिक महत्व दिया जाना इसका अधिक स्पष्ट साक्ष्य है। ऐसा पूर्णतया अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंतर्गत उचित सुविधाएं विगत में महत्वपूर्ण रूप से सृजित की गई थीं, जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता में वृद्धि करना ही अपेक्षित है। नौवीं योजना में शिक्षा और स्वास्थ्य के हिस्से में योजना का लगभग पांचवां हिस्सा और कुल खर्च का चौथाई हिस्सा शामिल है।

2.67 दूसरी ओर कृषि और उद्योग में योजना और कुल खर्च में गिरावट दिखाई देती है जिससे क्षेत्रीय बल में गिरावट का संकेत मिलता है। कुल खर्च में गिरावट योजना खर्च की बजाय

सारणी 2.8

राज्यों का कुल योजना संवितरण (राजस्व एवं पूंजी)

(सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)

प्रमुख क्षेत्र	V योजना	VI योजना	VII योजना	VIII योजना	IX योजना
1. शिक्षा और स्वास्थ्य	0.6 (13.7)	0.8 (16.4)	0.9 (17.3)	0.8 (19.0)	0.8 (22.4)
2. कृषि और उद्योग	1.1 (25.4)	1.6 (30.7)	1.5 (29.8)	1.2 (27.8)	0.9 (23.8)
3. अवसंरचना	2.0 (46.0)	1.9 (36.8)	1.8 (35.8)	1.5 (34.8)	1.2 (33.2)
4. अन्य सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं	0.5 (13.4)	0.7 (14.6)	0.8 (14.3)	0.6 (16.2)	0.7 (18.0)
5. सामान्य सेवाएं	0.1 (1.5)	0.1 (1.5)	0.1 (2.8)	0.1 (2.2)	0.1 (2.6)
कुल	4.3 (100.0)	5.1 (100.0)	5.1 (100.0)	4.2 (100.0)	3.7 (100.0)


टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्सा हैं।

कुल के संबंध में अधिक है। इससे मौजूदा स्कीमों पर प्रभाव बढ़ाने की बजाय नई योजना स्कीमों पर अधिक बल दिए जाने का पता चलता है। यह पुनः आशा के अनुरूप है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मुख्यतः राजसहायता और कल्याण स्कीमों शामिल होती हैं जिनका समय परिवर्तन के साथ पुनर्गठन अपेक्षित होता है। नौवीं योजना में कृषि और उद्योग मिलकर योजना का एक चौथाई और कुल खर्च का दसवां हिस्सा था।

2.68 अवसंरचना क्षेत्र में योजना में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी थी जबकि नौवीं योजना को छोड़कर कुल खर्च में वृद्धि हुई थी। नौवीं योजना में योजना खर्च में तेज गिरावट होने के प्रभाव के कारण कुल खर्च में भी गिरावट हुई थी। यद्यपि,

इससे विदित होता है कि मौजूदा सुविधाओं के रखरखाव पर अधिक बल दिया गया था, लेकिन इसका तात्पर्य यह भी है कि अतिरिक्त अवसंरचना सृजन की निधियों को अन्यत्र दिया गया था, जबकि संपूर्ण विचाराधीन अवधि में अतिरिक्त अवसंरचना के सृजन की अत्यधिक आवश्यकता लगातार महसूस की गई है। चूंकि रखरखाव खर्च के संबंध में समझौता नहीं किया जा सकता था इसलिए अवसंरचना के लिए अतिरिक्त योजना निधियों की मांग बनी रही जिसे अन्य क्षेत्रों से लेकर पूरा किया जाना था। किन्तु ऐसा नहीं हुआ जोकि सारणी-2.8 से स्पष्ट होता है, जिसमें कुल योजना में अवसंरचना पर खर्च के हिस्से में पांचवीं योजना के लगभग आधे से गिरावट होकर, नौवीं योजना में एक तिहाई रह गया। कुल खर्च में यह पांचवें हिस्से से गिरकर लगभग छठा हिस्सा रह गया।

आकृति 2.5 जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में राज्यों के योजना परिव्यय का आकार एवं घटक



सारणी 2.9


राज्यों का कुल संवितरण (योजना और गैर-योजना)

(सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)

प्रमुख क्षेत्र	V योजना	VI योजना	VII योजना	VIII योजना	IX योजना
1. शिक्षा और स्वास्थ्य	3.0 (22.5)	3.5 (22.7)	3.9 (24.2)	3.6 (23.6)	3.8 (24.7)
2. कृषि और उद्योग	2.3 (17.0)	2.8 (18.0)	2.6 (15.7)	2.1 (13.5)	1.8 (11.5)
3. अवसंरचना	2.8 (20.9)	2.9 (18.7)	3.0 (18.7)	2.8 (17.9)	2.3 (15.2)
4. अन्य सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं	1.4 (10.8)	1.8 (11.6)	1.8 (11.3)	1.6 (10.6)	1.6 (10.1)
5. सामान्य सेवाएं	3.8 (28.8)	4.5 (29.0)	4.9 (30.1)	5.3 (34.5)	5.9 (38.5)
कुल	13.3 (100.0)	15.5 (100.0)	16.2 (100.0)	15.4 (100.0)	15.4 (100.0)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्सा हैं।

आकृति 2.6 जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में राज्यों के कुल संवितरण का आकार एवं संरचना



2.69 अन्य सामाजिक और आर्थिक सेवाओं ने कृषि और उद्योग की तरह का पैटर्न अपनाया है, जहां नई स्कीमें चलाने के लिए योजना खर्च पर अधिक बल दिया गया था जबकि मौजूदा स्कीमों की कवरेज को सीमित रखा गया था। नौवीं योजना में योजना खर्च में यह हिस्सा लगभग पांचवां था और कुल खर्च में दसवां हिस्सा था।

2.70 यद्यपि, कुल योजना खर्च में सामान्य सेवाओं का हिस्सा बहुत कम था, लेकिन कुल खर्च में इसका हिस्सा न केवल उच्चतम था बल्कि पांचवीं योजना में 29 प्रतिशत से बढ़कर यह नौवीं योजना में 39 प्रतिशत हो गया था। ऐसा स्पष्टतः ऋण अदायगी देयताओं के विशाल और बढ़ते हुए खण्ड के कारण हुआ था, जिसे महत्वपूर्ण अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के लिए कुल प्राप्तियों को लागू करने में प्रमुख बाधा के रूप में माना जा सकता है।

2.71 योजना निवेश वित्त पोषण के खण्ड में विचाराधीन सम्पूर्ण अवधि के दौरान राजस्व योजना खाते में घाटा नोट किया गया था। तब यह बताया गया था कि ऐसा दो संभावनाओं से उत्पन्न होने वाले बड़े राजस्व योजना घटक के कारण हुआ था। पहला, योजना से गैर योजना बजट में उपयुक्त और पर्याप्त अंतरण नहीं किए गए थे जैसाकि प्रत्येक योजना अवधि के अंत में किया जाना चाहिए। और दो, राज्य स्तर पर नई राजस्व योजना स्कीमें उस संख्या से अधिक संख्या में लागू

की गई थी, जिस संख्या की अनुमति केन्द्रीय राजस्व योजना अंतरण देते हैं।

2.72 सारणी 2.10 से पता चलता है कि विचाराधीन अवधि में कृषि और उद्योग का राजस्व योजना में सबसे बड़ा हिस्सा था और इसके कारण राजस्व योजना बढ़ी थी। यद्यपि, इसके हिस्से में धीरे-धीरे गिरावट आई थी, लेकिन यह फिर भी सबसे बड़ा हिस्सा बना रहा। शिक्षा और स्वास्थ्य का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा था। इसमें भी पांचवीं योजना से गिरावट आई, लेकिन यह गिरावट केवल सातवीं योजना तक थी। तत्पश्चात अगली दो योजनाओं में इसके हिस्से में वृद्धि हुई और उस समय राज्यों के समग्र योजना खर्च में सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में गिरावट आ रही थी। इससे इस बात पर बल दिया जाना दिखाई देता है कि हाल के वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी है जिसमें राज्यों के राजस्व योजना परिव्यय का बहुत बड़ा हिस्सा चला गया है। संपूर्ण विचाराधीन अवधि के दौरान, कृषि और उद्योग के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य का हिस्सा राज्य सरकारों के राजस्व योजना परिव्यय में 70 प्रतिशत से अधिक है।

2.73 सारणी-2.10 से यह भी पता चलता है कि राजस्व योजना परिव्यय में अवसंरचना का हिस्सा 5 से 6 प्रतिशत पर स्थिर बना

सारणी 2.10 राज्यों का राजस्व योजना परिव्यय

(सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में)

प्रमुख क्षेत्र	V योजना	VI योजना	VII योजना	VIII योजना	IX योजना
1. शिक्षा और स्वास्थ्य	0.47 (33.2)	0.66 (29.9)	0.71 (27.4)	0.65 (29.4)	0.68 (34.2)
2. कृषि और उद्योग	0.59 (41.9)	1.06 (48.1)	1.19 (45.8)	0.94 (42.3)	0.71 (35.7)
3. अवसंरचना	2.8 (5.4)	2.9 (3.0)	3.0 (8.8)	2.8 (6.8)	2.3 (5.5)
4. अन्य सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं	0.24 (17.2)	0.38 (17.5)	0.43 (16.3)	0.43 (19.6)	0.43 (22.3)
5. सामान्य सेवाएं	0.03 (2.3)	0.03 (1.5)	0.04 (1.7)	0.04 (1.9)	0.05 (2.3)
कुल	1.41 (100.0)	2.20 (100.0)	2.60 (100.0)	2.21 (100.0)	1.98 (100.0)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्सा हैं।

रहा। जब इसे सारणी 2.8, जिसमें अवसंरचना के लिए योजना परिव्यय में गिरावट दिखाई देती है, के संबंध में देखा जाता है तो पता चलता है कि अवसंरचना के संबंध में योजना परिव्यय के पूंजीगत घटक के संबंध में समझौता किया गया था। दूसरी ओर सारणी-2.9 से अवसंरचना संबंधी समूचे खर्च में स्थिर रूप से वृद्धि होने का पता चलता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब अवसंरचना संबंधी योजना परिव्यय और साथ में इसके पूंजीगत घटक में गिरावट आ रही थी तब गैर-योजना खर्च स्थिर रूप से बढ़ रहा था। चूंकि अवसंरचना गैर योजना का पूंजीगत घटक नगण्य है; इसलिए गैर-योजना खर्च में हो रही वृद्धि को गैर-योजना राजस्व खर्च में हो रही वृद्धि के संकेत के रूप में माना जा सकता है। गैर-योजना राजस्व खर्च में हो रही वृद्धि का स्पष्टीकरण, राज्य विद्युत मंडलों और सड़क परिवहन निगमों को दी जाने वाली राजसहायता और अनुदानों में काफी वृद्धि होना दिया जाता है। विशेष रूप से राजस्व योजना घटक के बहुत कम होने की दृष्टि में, इससे यह सुझाव भी मिलता है कि सिंचाई तथा सड़क एवं पुल, दोनों क्षेत्रों में कर्मचारियों की भर्ती विगत में ही बहुत पहले कर ली गई थी और सृजित परिसम्पत्तियों के बेहतर रखरखाव के लिए प्रत्यक्षतः इसमें निवल वृद्धि होती रही। यद्यपि, वर्तमान अध्याय के कार्य-क्षेत्र में कोई निश्चित साक्ष्य मौजूद नहीं है, तथापि, सामान्यतः यह माना जाता है कि गैर-योजना के अधीन इतने अधिक कर्मचारियों की भर्ती की गई थी कि इससे सामग्री और आपूर्तियों के रूप में भौतिक परिसम्पत्तियों के रखरखाव के संबंध में समझौता किया गया।

2.74 अंत में, शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्षेत्रीय बल नई क्षमताएं सृजित करने की तुलना में मौजूदा क्षमताओं को समेकित करने पर दिया गया था। तथापि, यदि मानव संसाधन विकास को गुणवत्ता का कार्य-बल विकसित करना है तो नई क्षमताओं के निर्माण को प्राथमिकता दी ही जानी चाहिए। कृषि और उद्योग में अतिरिक्त क्षमता के निर्माण पर अधिक क्षेत्रीय बल दिया गया था, जिससे इस क्षेत्र का तेजी से आधुनिकीकरण करने की आशा की जाती है। तथापि, इस क्षेत्र में उद्यमिता योग्यताओं का विकास, सतत् आधार पर करने के लिए लक्षित नीतियों से गैर-योजना परिव्यय और योजना निवेशों, दोनों के अंतर्गत राजसहायता का भार केवल कम होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी अवसंरचना के लिए क्षेत्रीय बल पुनः पूंजी घटक से समृद्ध बड़े योजना परिव्यय की अनदेखी करके गैर-योजना परिव्यय को समेकित करने पर दिया गया था। इस क्षेत्र में ही गैर-योजना परिव्यय के अनुत्पादक घटक को कम करके योजना परिव्यय के पूंजीगत घटक में वृद्धि करने की आवश्यकता है। सरकारी निवेश को अनुसमर्थन देने के लिए

निजी निवेश व्यवहार्य विकल्प हो सकता है। ऐसा विशेष रूप से उन राज्यों के मामले में हो सकता है जहां आम जनता के लिए इन सेवाओं को प्राप्त करने की लागत सस्ती है।

V. भावी कदम

2.75 1974 से पूर्व की अवधि के दौरान, सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक संवृद्धि दर पहली योजना की 3.9 प्रतिशत से गिरकर चौथी योजना में 2.8 प्रतिशत रह गई। 1974 से बाद की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक संवृद्धि दर पांचवीं योजना की 4.1 प्रतिशत से बढ़कर नौवीं योजना के मध्यकाल में लगभग 6 प्रतिशत हो गई। 1974 से बाद की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक संवृद्धि में उछाल 1974 से पूर्व की अवधि में राज्यों के योजना निवेश द्वारा सृजित उत्पादक क्षमताओं का प्रभावी उपयोग दर्शाता है। इसी प्रकार, 1974 के बाद की अवधि में योजना निवेशों से प्रत्याशित उत्पादक क्षमताओं में वृद्धि होने के संबंध में दसवीं योजना में 8 प्रतिशत और इससे अधिक की संवृद्धि दर प्राप्त करना महत्वपूर्ण है।

2.76 यह दर्शाया गया है कि 1974 के बाद की अवधि में राज्यों के योजना निवेशों में उत्पादक क्षमताओं की वृद्धि में उनके संभाव्य से नीचे गिरावट आई। ऐसा इस कारण हुआ था कि 1974 से पूर्व की अवधि में सृजित उत्पादक क्षमताओं को बनाए रखने के लिए रखरखाव की आवश्यकता राज्यों के पास उपलब्ध राजस्व से बहुत अधिक थी। इस बाधा के बावजूद, जब राज्यों ने अतिरिक्त क्षमताओं का निर्माण करने का प्रयास किया और इस प्रयोजनार्थ रखरखाव परिव्यय के संसाधनों को योजना निवेश में दिया तो इनमें मौजूदा क्षमताओं में हानि हो गई। योजना निवेश उत्पादक क्षमताओं में प्रभावी वृद्धि नहीं कर सके क्योंकि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में राज्यों द्वारा अधिक संख्या में लागू की गई नई स्कीमों को थोड़े-थोड़े संसाधन प्रदान किए गए, जो नियोजन की दृष्टि से उपयुक्त क्षमताएं सृजित करने के लिए उचित नहीं है।

2.77 स्कीमों की संख्या में वृद्धि होने के साथ-साथ रखरखाव परिव्यय की आवश्यकता और स्थापना तथा प्रशासन पर अनुत्पादक खर्च भी बढ़ गया। वास्तव में रखरखाव परिव्यय की तुलना में अनुत्पादक खर्च अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें गिरावट का नामोनिशान नहीं था। इसके परिणामस्वरूप 1974 के पश्चात अंतिम अर्ध अवधि में एक समय योजना निवेशों के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने में अनुत्पादक खर्च गंभीर बाधा बन गया क्योंकि रखरखाव

परिव्यय के विपरीत अनुत्पादक खर्च को आसानी से कम नहीं किया जा सका। उत्पादक क्षमताओं में की जाने वाली वृद्धि संभाव्य से कम बनी रही।

2.78 उन्नीस सौ नब्बे के वर्षों में राज्यों ने योजना निवेशों के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने हेतु भारी मात्रा में उधार लिया। इससे उत्पादक क्षमताओं में कुछ संवृद्धि हुई होगी। तथापि, योजना निवेशों के वित्त पोषण के लिए बड़ी मात्रा में उधर लेने को केवल तभी तक जारी रखा जा सकता है जब तक यह अवधारणा रहती है कि इससे निजी निवेश को भी स्थान मिलता रहेगा।

2.79 इस दशक के शुरु में सरकारी क्षेत्र की उधारियों पर नियंत्रण करने के संबंध में गंभीर रूप से विचार किया जा रहा है, क्योंकि यह पहले ही महसूस किया जा चुका है कि निजी बचत संबंधी सरकारी क्षेत्र का ड्राफ्ट पहले ही इतना बड़ा हो गया है कि उसमें निजी निवेश के लिए स्थान नहीं बचा है। दुर्भाग्यवश, यह अवधारणा नब्बे के दशक में अन्य अनुत्पादक खर्चों के संबंध में ब्याज भुगतानों के महत्वपूर्ण रूप से जुड़ जाने की वजह से हुई है। दसवीं योजना में राज्य की उधारियों में और संवृद्धि पर नियंत्रण तथा इसके साथ अनुत्पादक खर्च की अत्यधिक मात्रा से योजना निवेशों और परिणामी क्षमता निर्माण के लिए बहुत कम मात्रा में संसाधन जुटाए जा सकते हैं।

2.80 अतः भावी कदम में मौजूदा उत्पादक क्षमताओं की सुरक्षा करने और पिछले समय की कमजोरियों को न दोहराते हुए अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने के तरीकों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। निम्नलिखित कार्रवाई-मदों पर जोर दिया जाता है:-

- राज्यों को उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पहले से ही अधिगृहीत उत्पादक क्षमताओं की उनके लिए रखरखाव परिव्यय पर्याप्त रूप से प्रदान करके सुरक्षा करनी चाहिए।
- रखरखाव परिव्यय को गैर-नकारात्मक वर्तमान राजस्व शेष की सीमा के अन्दर ही खपाया जाना चाहिए।
- गैर-नकारात्मक वर्तमान राजस्व शेष के अंतर्गत सम्पूर्ण रखरखाव परिव्यय को शामिल करने के लिए प्रशासनिक और स्थापना लागतों में कटौती करने की राजनैतिक इच्छा अपेक्षित होगी।
- रखरखाव परिव्यय के लिए वित्त आयोग से पर्याप्त सहायता लेने के लिए राज्यों को योजना निवेशों के रूप में इनका मिथ्या निरूपण बंद करना चाहिए।

- उधारियों में संवृद्धि की योजना इस प्रकार बनानी चाहिए कि निजी बचतों संबंधी सरकारी क्षेत्र का ड्राफ्ट वर्तमान स्तर पर बना रहे या इसमें गिरावट आए।
- उधारियों और बाद में राज्य की योजना के आकार को कम स्तर पर लाकर अतिरिक्त उत्पादन क्षमताओं के निर्माण के लिए निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- अंततः राज्य को अपने संसाधनों का जुटाव करके योजना निवेशों के लिए अपने संसाधन जुटाकर निजी निवेश का पूरक बनना चाहिए।
- अपने राजस्व को गतिशील करने के लिए, प्राथमिक क्षेत्रों में कर आधार का विस्तार करना, कर चोरी को रोकना और वाणिज्यिक उपयोगकर्ता से प्रभार लेकर लागत रिकवरी करना शामिल है।
- परिनियोजन के लिए उपयुक्त उत्पादक क्षमताएं सृजित करने में योजना निवेशों को प्रभावी करने के लिए राज्यों को नई स्कीमों की संख्या बहुत कम और प्रबंधनीय स्तर तक सीमित रखनी चाहिए।
- नई स्कीमों की संख्या से भविष्य में रखरखाव-भार उतना ही पड़ना चाहिए जितना इसे गैर-नकारात्मक वर्तमान राजस्व शेष के अंदर रखने के लिए उचित हो।
- नई स्कीमों की संख्या को सीमित रखने में सफल होने के लिए राज्यों को उत्पादक क्षमताओं के निर्माण की जिम्मेदारी को निजी क्षेत्र के साथ बांट लेना चाहिए।
- जिम्मेदारियों का बंटवारा इस प्रकार हो सकता है कि निजी निवेश को अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं पर और राज्य के योजना निवेश को सामाजिक क्षेत्र की जरूरतों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

2.81 उपर्युक्त कार्रवाई-मदों में मूल रूप से ऐसा दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया गया है, जिसमें मौजूदा क्षमताओं की सुरक्षा की जाए और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में अतिरिक्त क्षमताओं का निर्माण किया जाए ताकि अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता के लिए संभाव्य वृद्धि को हासिल किया जा सके। तथापि, ऐसी कार्रवाई मद को तभी कार्यान्वित किया जा सकता है जब राज्यों की संसाधन संबंधी भ्रांति टूट जाए। अब तक राज्यों की उधारियों तक उदार पहुंच होने से "संसाधन भ्रांति" पैदा हो गई है। राज्यों के उधारी कार्यक्रमों पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण होता है इसलिए इस "साधन भ्रांति" को तोड़ने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर है और यह सब अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में संभाव्य वृद्धि करने के लिए आवश्यक है।

राज्यों के कुल योजना संसाधनों का वित्त पोषण और कुछ वित्तीय प्राचल (पैरामीटर) संलग्नक 2.1 क
(वर्तमान मूल्यों पर करोड़ रुपये)

वर्ष	गैर-योजना राजस्व प्राप्तियाँ				गैर-योजना राजस्व खर्च				बीसीआर			
	केंद्रीय कर	अपने कर	इतर	अनुदान (1 से 4)	कुल	व्याज भुगतान	पेंशन भुगतान	अन्य गैर-विकास	विकास स्थानीय निकाय (6 से 10)	कुल (5-11)	(5-11)	12.
1974-75	1228.49	2880.57	1300.84	561.32	5971.22	539.25	115.35	1184.71	3465.91	71.93	5377.15	594.07
1975-76	1599.13	3546.16	1574.37	616.31	7335.97	687.76	153.34	1316.84	3854.85	74.03	6086.82	1249.15
1976-77	1679.81	4033.45	1818.60	712.97	8244.83	757.43	193.69	1492.47	4132.55	92.59	6668.73	1576.10
1977-78	1805.81	4349.24	1937.45	700.89	8793.39	822.23	220.69	1607.30	4772.78	102.83	7525.83	1267.56
1978-79	1952.79	4970.35	2250.83	758.43	9932.40	952.92	261.09	1754.48	5435.72	130.50	8534.71	1397.69
1979-80	3407.81	5669.14	2469.21	459.52	12005.68	941.77	295.13	2026.43	6600.09	176.43	10039.85	1965.83
1980-81	3788.91	6616.18	3265.61	562.37	14233.07	1225.46	372.25	2433.90	7786.56	204.93	12023.10	2209.97
1981-82	4259.66	8234.32	3234.15	486.69	16214.82	1440.42	489.74	2775.55	8970.91	212.17	13888.79	2326.03
1982-83	4632.68	9486.07	3625.14	755.15	18499.04	1705.34	635.13	3230.81	10510.96	247.10	16329.34	2169.70
1983-84	5007.82	10753.11	4160.22	756.83	20677.98	1963.41	791.28	3732.22	11898.80	303.71	18689.42	1988.56
1984-85	5854.45	12259.80	4549.59	806.11	23469.95	2466.31	1000.24	4474.93	13762.51	357.10	22061.09	1408.86
1985-86	7259.91	14550.93	5290.63	1473.56	28575.03	2939.97	1207.00	5047.84	16643.18	396.25	26234.24	2340.79
1986-87	8383.70	16711.99	6145.49	1562.52	32803.70	4100.82	1390.37	5137.27	18400.94	441.99	29471.39	3332.31
1987-88	9659.84	19321.62	6743.94	1735.85	37461.25	4895.39	1757.88	6005.78	21265.21	491.47	34415.73	3045.52
1988-89	10735.95	22401.26	7623.65	2166.19	42927.05	5933.09	2391.95	6927.30	24645.66	553.16	40451.16	2475.89
1989-90	13097.34	25995.10	8936.96	2174.97	50204.37	7181.35	2930.47	8493.75	29269.09	600.50	48475.16	1729.21
1990-91	14241.47	30344.83	9237.19	3270.53	57094.02	8652.12	3592.17	9654.79	34712.49	783.55	57395.12	-301.10
1991-92	16847.86	35756.05	12706.11	3278.44	68588.46	10941.00	3713.84	11709.79	42875.00	1016.00	70255.63	-1667.17
1992-93	20580.14	39868.28	12883.88	3362.93	76695.23	13208.77	4308.32	13687.50	45663.39	1232.53	78100.51	-1405.28
1993-94	22394.82	46087.49	15568.83	3154.31	87205.45	15797.19	5107.38	16073.50	51513.46	1162.60	89654.13	-2448.68
1994-95	24884.73	55734.53	21660.06	2574.14	104853.46	19198.04	6123.84	22427.51	57269.73	1310.07	106329.19	-1475.73
1995-96	29047.64	63865.19	22894.75	5977.42	121785.00	21928.41	7813.16	24049.84	64592.64	1454.02	119838.07	1946.93
1996-97	35037.61	71101.52	23542.58	5257.99	134939.70	25569.52	9826.73	25046.46	77463.95	1760.87	139667.53	-4727.83
1997-98	40411.20	81229.43	24437.63	5458.11	151536.37	30101.34	11599.06	27846.56	83856.63	2753.70	156157.29	-4620.92
1998-99	39421.24	88995.25	24167.81	3477.35	156061.65	35866.00	16166.32	32069.85	97555.50	3321.89	184979.56	-8917.91
1999-2000	44121.13	102581.90	29874.66	6102.39	182680.08	46299.47	22593.75	35499.86	114199.77	4176.21	222769.06	-0088.98

स्रोत : राज्यों के बजट पर भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के विभिन्न प्रकाशन

राज्यों के कुल योजना संसाधनों का वित्त पोषण और कुछ वित्तीय प्राचल (पैरामीटर)
 संलग्नक 2.1 ख
 (वर्तमान मूल्यों पर करोड़ रुपये)

वर्ष	अपनी पूंजीगत प्राप्दियाँ		गैर-योजना पूंजीगत खर्च		कुल (16 से 17)		एमसीआर राज्यों के सम्मिलित अपनी उधारियाँ संसाधन		केन्द्रीय सहायता		कुल राज्य योजना	
	ऋण	ऋण इतर	कुल (13 से 14)	पुनर्भुगतान अन्य	कुल (16 से 17)	15-18	19	20	21	22	23	24
1974-75	1293.02	287.64	1580.66	629.14	370.01	999.15	581.51	1175.58	274.27	518.93	793.20	1968.78
1975-76	1375.15	420.22	1795.37	794.82	576.19	1371.01	424.36	1673.51	358.15	720.12	1078.27	2751.78
1976-77	1673.08	359.78	2032.86	855.09	463.46	1318.55	714.31	2290.41	479.76	751.86	1231.62	3522.03
1977-78	1588.30	278.55	1866.85	951.10	410.42	1361.52	505.33	1772.89	697.83	1185.03	1882.86	3655.75
1978-79	2878.67	365.80	3244.47	1000.75	579.42	1580.17	1664.30	3061.99	987.75	1748.27	2736.02	5798.01
1979-80	2536.91	395.06	2931.97	965.64	833.18	1798.82	1133.15	3098.98	973.92	1267.59	2241.51	5340.49
1980-81	3158.74	449.26	3608.00	1635.92	1645.18	3281.10	326.90	2536.87	1217.49	1879.97	3097.46	5634.33
1981-82	3537.30	651.24	4188.54	1666.20	1275.63	2941.83	1246.71	3572.74	1319.95	1667.45	2987.40	6560.14
1982-83	4099.23	666.95	4766.18	1642.96	1229.44	2872.40	1893.78	4063.48	1590.67	2268.06	3858.73	7922.21
1983-84	5574.20	784.98	6359.18	2115.83	1347.40	3463.23	2895.95	4884.51	1848.35	2632.78	4481.13	9365.64
1984-85	6679.13	1030.01	7709.14	2926.52	1888.46	4814.98	2894.16	4303.02	1945.99	3015.85	4961.84	9264.86
1985-86	8595.13	808.61	9403.74	3114.09	1506.23	4620.32	4783.42	7124.21	2770.54	3569.48	6340.02	13464.23
1986-87	8128.36	996.87	9125.23	3292.81	1228.58	4521.39	4603.84	7936.15	2919.25	4001.02	6920.27	14856.42
1987-88	9312.88	1043.45	10356.33	3608.99	754.19	4363.18	5993.15	9038.67	3376.95	4988.07	8365.02	17403.69
1988-89	10445.10	1330.95	11776.05	3653.55	829.23	4482.78	7293.27	9769.16	3529.51	5100.50	8630.01	18399.17
1989-90	13883.72	1038.01	14921.73	3775.00	1272.42	5047.42	9874.31	11603.52	3458.87	5014.38	8473.25	20076.77
1990-91	17441.12	1500.54	18941.66	4333.80	1926.26	6260.06	12681.60	12380.50	4795.58	5755.59	10551.17	22931.67
1991-92	18179.87	3310.22	21490.09	5183.39	1408.77	6592.16	14897.93	13230.76	6573.95	6304.22	12878.17	26108.93
1992-93	20648.83	1923.08	22571.91	5429.17	2413.50	7842.67	14729.24	13323.96	7843.04	7330.59	15173.63	28497.59
1993-94	17538.15	2418.77	19956.92	6070.03	2194.36	8264.39	11692.53	9243.85	10239.93	8475.52	18715.45	27959.30
1994-95	26979.04	5226.43	32205.47	6346.81	2216.45	8563.26	23642.21	22166.48	10845.39	11364.82	22210.21	44376.69
1995-96	31424.59	3500.75	34925.34	5853.81	3441.92	9295.73	25629.61	27576.54	8133.57	8539.31	16672.88	44249.42
1996-97	23815.34	5754.25	29569.59	6733.70	3319.98	10053.68	19515.91	14788.08	11693.15	12597.98	24291.13	39079.21
1997-98	39967.36	5491.55	45458.91	8130.34	4587.14	12717.48	32741.43	28120.51	12008.18	14123.48	26131.66	54252.17
1998-99	67631.86	3302.00	70933.86	11852.44	4658.23	16510.67	54423.19	25505.28	13267.02	15253.17	28520.19	54025.47
1999-2000	82840.29	3360.93	86201.22	11882.94	9043.85	20926.79	65274.43	25185.45	16316.45	17166.75	33483.20	58668.65

स्रोत : राज्यों के बजट पर भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के विभिन्न प्रकाशन

राज्यों के कुल योजना संसाधनों का वित्त पोषण और कुछ वित्तीय प्राचल (पैरामीटर)

वर्ष	वर्तमान मूल्यों पर करोड़ रुपये)				31.	32.	33.	34.	35.		
	वर्ष 25.	वर्ष 26.	वर्ष 27.	वर्ष 28.							
1974-75	186.02	71.75	257.77	2226.55	659.70	1577.55	2237.25	-10.70	394.66	1265.26	726.01
1975-76	244.04	78.28	322.32	3074.10	879.68	1943.16	2822.84	251.26	971.66	1127.47	439.71
1976-77	312.43	68.59	381.02	3903.05	1271.46	2582.32	3853.78	49.27	1096.83	1589.17	831.74
1977-78	439.35	146.13	585.48	4241.23	1385.61	2987.44	4373.05	-131.82	1019.13	2100.18	1277.95
1978-79	726.55	148.74	875.29	6673.30	1976.61	3598.32	5574.93	1098.37	1135.38	2676.56	1723.64
1979-80	649.71	72.78	722.49	6062.98	2041.20	4042.62	6083.82	-20.84	1548.26	2932.48	1990.71
1980-81	842.71	91.35	934.06	6568.39	2784.71	4575.10	7359.81	-791.42	1485.46	4285.56	3060.10
1981-82	919.80	239.98	1159.78	7719.92	3186.45	5152.50	8338.95	-619.03	1379.33	4397.56	2957.14
1982-83	1035.71	116.67	1152.38	9074.59	3908.09	5631.96	9540.05	-465.46	887.99	5306.46	3601.12
1983-84	1487.48	101.09	1588.57	10954.21	5113.87	6273.74	11387.61	-433.40	210.52	6625.64	4662.23
1984-85	2009.51	157.39	2166.90	11431.76	6287.91	6692.63	12980.54	-1548.78	-923.55	8474.63	6008.32
1985-86	2078.51	159.86	2238.37	15702.60	6532.69	7476.59	14009.28	1693.32	657.15	7517.06	4577.09
1986-87	2503.31	176.46	2679.77	17536.19	8656.54	9207.12	17863.66	-327.47	98.33	9340.50	5239.68
1987-88	3162.19	240.81	3403.00	20806.69	10735.10	10420.18	21155.28	-348.59	-1150.44	11281.36	6385.97
1988-89	3964.29	175.96	4140.25	22539.42	11776.67	10367.45	22144.12	395.30	-1806.98	11672.71	5739.62
1989-90	2871.54	177.54	3049.08	23125.85	11741.50	11517.14	23258.64	-132.79	-3681.88	15433.43	8252.08
1990-91	4577.18	149.50	4726.68	27658.35	14380.63	13052.24	27432.87	225.48	-5308.97	18786.93	10134.81
1991-92	5373.29	159.66	5532.95	31641.88	15933.67	15150.84	31084.51	557.37	-5653.60	18902.99	7961.99
1992-93	6552.86	170.41	6723.27	35220.86	18104.68	15286.79	33391.47	1829.39	-5114.06	20891.27	7682.50
1993-94	7781.76	190.43	7972.19	35931.49	19722.06	17007.97	36730.03	-798.54	-4149.05	20932.61	5135.42
1994-95	6584.86	167.55	6752.41	51129.10	22138.39	22375.31	44513.70	6615.40	-6183.87	25549.20	6351.16
1995-96	6884.81	165.47	7050.28	51299.70	25165.80	23284.11	48449.91	2849.79	-8200.49	31425.77	9497.36
1996-97	6203.53	723.37	6926.90	46006.11	29280.73	23765.20	53045.93	-7039.82	-16111.88	37442.81	11873.29
1997-98	6756.23	354.51	7110.74	61362.91	30476.42	28783.59	59260.01	2102.90	-16332.93	44212.11	14110.77
1998-99	7119.07	206.36	7325.43	61350.90	35109.96	29760.67	64870.63	-3519.73	-43641.78	74758.68	38892.68
1999-2000	8204.62	206.94	8411.56	67080.21	38308.13	32012.43	70320.56	-3240.35	-53876.04	91571.39	45271.92

स्रोत : राज्यों के बजट पर भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के विभिन्न प्रकाशन

राज्यों का राजस्व योजना परिव्यय-प्रमुख क्षेत्रवार

(वर्तमान मूल्यों पर करोड़ रुपये)

वर्ष	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
शिक्षा, खेती, कला एवं संस्कृति	शिक्षा, परियार, नियोजन, जन स्वास्थ्य और जल आपूर्ति	गृह निर्माण और शहरी विकास	कल्याण, सुरक्षा, पो-हायर कार्यक्रम	अन्य सामाजिक सेवाएं	शृंगि, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र के कार्यक्रम	उद्योग और खनिज	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	ऊर्जा	सड़क और पुल	अन्य आर्थिक सेवाएं	सामान्य सेवाएं	स्थानीय निकायों को सुपुर्द करार्थ	शुल	
1974-75	75.88	145.60	8.81	72.07	12.62	239.09	23.33	4.99	11.70	28.91	13.64	23.06	0.00	659.70
1975-76	125.42	173.19	16.64	85.25	43.57	309.34	29.04	6.48	7.10	37.77	20.59	25.29	0.00	879.68
1976-77	289.78	296.19	15.93	92.58	17.05	392.58	44.10	0.79	7.40	37.13	43.20	34.73	0.00	1271.46
1977-78	193.79	279.65	15.57	111.22	68.59	506.88	59.57	8.91	9.39	53.02	47.18	31.84	0.00	1385.61
1978-79	249.36	365.34	45.00	203.51	55.50	746.01	90.19	43.74	11.53	75.50	56.37	34.56	0.00	1976.61
1979-80	146.91	387.04	39.68	211.05	61.91	912.10	90.91	15.04	20.51	61.53	54.43	40.07	0.02	2041.20
1980-81	229.78	496.62	26.93	412.65	88.40	1188.19	118.20	12.01	18.39	72.72	64.29	56.53	0.00	2784.71
1981-82	276.25	629.23	35.98	430.60	73.93	1342.78	142.51	37.15	18.72	63.27	81.06	54.97	0.00	3186.45
1982-83	393.55	851.62	35.52	487.08	60.36	1643.94	162.87	18.94	30.56	63.83	101.80	58.02	0.00	3908.09
1983-84	505.74	1147.15	39.08	602.78	76.42	2191.58	196.79	42.07	30.40	88.95	121.48	71.37	0.06	5113.87
1984-85	638.48	1189.80	47.72	686.25	97.77	2983.76	274.50	26.67	38.59	83.75	152.77	67.85	0.00	6287.91
1985-86	550.55	1152.79	147.00	752.09	23.69	2970.47	334.35	338.92	28.48	72.72	61.92	96.36	3.35	6532.69
1986-87	695.94	1637.01	206.74	1037.75	23.81	3679.58	406.96	559.57	45.44	161.79	86.86	115.40	-0.31	8656.54
1987-88	847.65	1963.64	209.98	1272.24	48.90	4339.36	430.96	760.34	290.65	291.98	98.70	181.53	-0.83	10735.10
1988-89	1231.74	2094.48	309.15	1367.09	36.51	4856.44	547.80	760.33	87.87	204.38	95.34	184.07	1.47	11776.67
1989-90	1647.55	2260.66	372.64	1543.02	29.93	4062.93	637.03	513.30	170.65	104.31	169.47	227.52	2.49	11741.50
1990-91	1304.99	2299.48	377.49	1531.48	31.33	6228.11	676.89	612.25	515.91	139.46	424.83	237.91	0.50	14380.63
1991-92	1462.00	2731.00	429.00	1700.00	36.00	6670.00	713.00	629.00	562.00	196.00	505.00	300.67	0.00	15933.67
1992-93	1659.85	2712.53	449.78	1877.96	35.72	7956.78	756.72	780.69	956.66	171.20	443.25	301.35	2.19	18104.68
1993-94	2110.07	3275.33	556.81	2239.70	64.69	8576.15	825.38	786.19	209.82	217.22	463.40	388.64	8.66	19722.06
1994-95	2845.96	3850.18	694.09	2912.48	188.28	8168.84	1070.21	1014.64	135.78	270.55	573.63	421.71	-7.96	22138.39
1995-96	3466.14	4394.46	1080.62	3455.74	355.19	8453.69	1312.62	977.86	234.47	365.57	586.71	406.02	76.71	25165.80
1996-97	4228.98	5075.01	1481.46	3873.51	490.37	9833.76	1476.03	1034.25	287.06	359.32	550.32	421.21	169.45	29280.73
1997-98	4568.97	5920.79	1794.50	4040.58	323.15	9831.40	1173.24	1036.19	177.25	340.87	721.78	344.43	203.27	30476.42
1998-99	5224.44	6664.35	2297.70	4476.14	331.75	11251.24	1234.71	1332.21	217.76	442.03	829.86	599.04	208.73	35109.96
1999-00	6247.12	6892.77	2313.38	4896.69	145.08	12483.20	1143.64	1424.92	184.91	565.48	974.88	672.79	363.27	38308.13

स्रोत : राज्यों के बजट पर भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के विभिन्न प्रकाशन

राज्यों का पूंजीगत योजना परिचय-प्रमुख क्षेत्रवार

(वर्तमान मूल्यों पर करोड़ रुपये)

वर्ष	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	शिक्षा, परियार, नियोजन, जन स्वास्थ्य और जल आपूर्ति	गृह निर्माण और शहरी विकास	कल्याण, सुरक्षा, पोषाहार कार्यक्रम	अन्य सामाजिक सेवाएं	शृषि, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र के कार्यक्रम	उद्योग और खनिज	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	ऊर्जा	सड़क और पुल	अन्य आर्थिक सेवाएं	सामान्य सेवाएं	स्थानीय निकायों को सुपुर्द करार्थ	शुल
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1974-75	10.61	57.87	19.16	69.45	11.89	249.28	70.17	432.13	443.05	108.40	89.66	15.88	0.00	1577.55
1975-76	14.40	72.18	21.87	69.66	18.82	258.41	93.81	549.10	605.17	139.69	83.27	16.78	0.00	1943.16
1976-77	16.43	87.25	28.88	126.82	27.06	405.29	131.16	745.17	720.76	153.19	113.47	26.84	0.00	2582.32
1977-78	16.09	99.69	34.21	141.73	27.05	378.52	106.97	947.97	873.98	188.93	135.25	37.05	0.00	2987.44
1978-79	22.81	113.18	36.63	168.89	25.15	427.67	126.81	1107.55	1052.89	267.77	210.22	38.75	0.00	3598.32
1979-80	27.84	162.66	37.70	185.08	21.31	502.69	146.65	1249.24	1116.62	321.92	219.99	50.92	0.00	4042.62
1980-81	30.17	212.64	46.88	252.95	27.61	586.83	1740.57	1386.10	1151.94	396.47	257.50	55.44	0.00	4575.10
1981-82	39.38	253.56	55.60	277.99	27.23	624.81	261.20	1559.03	1246.49	438.06	287.85	81.30	0.00	5152.50
1982-83	41.21	313.26	60.21	289.11	30.54	731.82	243.52	1693.18	1380.04	455.38	321.09	72.60	0.00	5631.96
1983-84	41.99	408.48	74.21	301.05	19.90	852.59	297.27	1824.31	1575.11	468.94	333.56	76.33	0.00	6273.74
1984-85	52.38	407.13	77.07	339.12	37.91	897.52	338.67	1992.40	1514.05	536.73	405.65	94.00	0.00	6692.63
1985-86	87.96	438.86	221.23	84.31	251.07	586.59	423.20	2486.35	1772.99	627.70	365.28	131.05	0.00	7476.59
1986-87	119.26	507.19	374.29	95.31	346.57	759.28	554.21	2648.74	2343.89	736.85	478.10	243.43	0.00	9207.12
1987-88	126.99	563.21	406.24	80.89	363.91	680.49	772.19	2963.36	2400.87	773.98	472.99	815.06	0.00	10420.18
1988-89	166.21	588.62	386.21	85.44	320.88	796.14	563.73	3229.39	2417.81	822.63	475.18	515.21	0.00	10367.45
1989-90	258.22	507.29	429.60	89.48	277.09	840.05	748.24	3225.62	3225.85	927.58	475.13	512.99	0.00	11517.14
1990-91	281.84	562.83	423.57	140.69	350.65	931.57	680.81	3565.44	3761.07	1046.19	867.77	439.81	0.00	13052.24
1991-92	275.37	748.49	523.84	184.67	475.37	1108.58	746.80	3720.80	5322.55	1082.30	548.26	413.81	0.00	15150.84
1992-93	299.96	789.61	439.70	199.40	469.01	1236.90	747.00	4082.84	4854.13	1223.66	658.91	285.67	0.00	15286.79
1993-94	312.52	918.05	540.06	184.56	524.16	1208.30	836.82	4767.04	4748.38	1640.74	752.25	575.09	0.00	17007.97
1994-95	383.67	1159.74	550.21	257.27	903.20	1387.32	759.81	5691.09	7993.54	2133.56	586.44	569.46	0.00	22375.31
1995-96	467.83	1252.69	673.10	241.30	1049.40	1706.55	672.58	6389.15	6911.71	2479.69	883.44	556.67	0.00	23284.11
1996-97	506.82	1415.61	1200.83	429.14	945.23	2104.13	918.94	6668.26	4907.95	2911.45	1091.31	665.53	0.00	23765.20
1997-98	542.21	1669.27	827.25	497.57	1049.96	1928.87	842.89	7851.86	7987.15	2950.23	1757.74	878.60	0.00	28783.60
1998-99	633.59	2206.81	925.75	556.90	1025.13	2213.35	851.39	7900.09	7273.67	4183.69	1253.02	737.27	0.00	29760.66
1999-00	420.53	2553.47	1144.72	599.19	1030.68	2465.65	852.23	8958.60	7082.77	4730.13	1144.23	1030.23	0.00	32012.43

स्रोत : राज्यों के बजट पर भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के विभिन्न प्रकाशन

राज्यों का पूंजीगत योजना परिव्यय-प्रमुख क्षेत्रवार

(वर्तमान मूल्यों पर करोड़ रुपये)

वर्ष	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	शिक्षा, परियार, नियोजन, जन स्वास्थ्य और जल आपूर्ति	गृह निर्माण और शहरी विकास	कल्याण, सुरक्षा, पोषाहार कार्यक्रम	अन्य सामाजिक सेवाएँ	कृषि, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र रत्ने कार्यक्रम	उद्योग और खनिज	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	ऊर्जा	सड़क और पुल	अन्य आर्थिक सेवाएँ	सामान्य सेवाएँ	स्थानीय निकायों को सुपुर्द करार्य	कुल
1974-75	86.49	203.47	27.97	141.52	24.51	488.37	93.50	437.12	454.75	137.31	103.30	38.94	0.00	2237.25
1975-76	139.82	245.37	38.51	154.91	62.39	567.75	122.85	555.58	612.27	177.46	103.86	42.07	0.00	2822.84
1976-77	306.21	383.44	44.81	219.40	44.11	797.87	175.26	745.96	728.16	190.32	156.67	61.57	0.00	3853.78
1977-78	209.88	379.34	49.78	252.95	95.64	885.40	166.54	956.88	883.37	241.95	182.43	68.89	0.00	4373.05
1978-79	272.17	478.52	81.63	372.40	80.65	1173.68	217.00	1151.29	1064.42	343.27	266.59	73.31	0.00	5574.93
1979-80	174.75	549.70	77.38	396.13	83.22	1414.79	237.56	1264.28	1137.13	383.45	274.42	90.99	0.02	6083.82
1980-81	259.95	709.26	73.81	665.60	116.01	1775.02	288.77	1398.11	1170.33	469.19	321.79	111.97	0.00	7359.81
1981-82	315.63	882.79	91.58	708.59	101.16	1967.59	403.71	1596.18	1265.21	501.33	368.91	136.27	0.00	8338.95
1982-83	434.76	1164.88	95.73	776.19	90.90	2375.76	406.39	1712.12	1410.60	519.21	422.89	130.62	0.00	9540.05
1983-84	547.73	1555.63	113.29	903.83	96.32	3044.17	494.06	1866.38	1605.51	557.89	455.04	147.70	0.06	11387.61
1984-85	690.86	1596.93	124.79	1025.37	135.68	3881.28	613.17	2019.07	1552.64	620.48	558.42	161.85	0.00	12980.54
1985-86	638.51	1591.65	368.23	836.40	274.76	3557.06	757.55	2825.27	1801.47	700.42	427.20	227.41	3.35	14009.28
1986-87	815.20	2144.20	581.03	1133.06	370.38	4438.86	961.17	3208.31	2389.33	898.64	564.96	358.83	-0.31	17863.66
1987-88	974.64	2526.85	616.22	1353.13	412.81	5019.85	1203.15	3723.70	2691.52	1065.96	571.69	996.59	-0.83	21155.28
1988-89	1397.95	2683.10	695.36	1452.53	357.39	5652.58	1111.53	3989.72	2505.68	1027.01	570.52	699.28	1.47	22144.12
1989-90	1905.77	2767.95	802.24	1632.50	307.02	4902.98	1385.27	3738.92	3396.50	1031.89	644.60	740.51	2.49	23258.64
1990-91	1586.83	2862.31	801.06	1672.17	381.98	7159.68	1357.70	4177.69	4276.98	1185.65	1292.60	677.72	0.50	27432.87
1991-92	1737.37	3479.49	952.84	1884.67	511.37	7778.58	1459.80	4349.80	5884.55	1278.30	1053.26	714.48	0.00	31084.51
1992-93	1959.81	3502.14	889.48	2077.36	504.73	9193.68	1503.72	4863.53	5810.79	1394.86	1102.16	587.02	2.19	33391.47
1993-94	2422.59	4193.38	1096.87	2424.26	588.85	9784.45	1662.20	5553.23	4958.20	1857.96	1215.65	963.73	8.66	36730.03
1994-95	3229.63	5009.92	1244.30	3169.75	1091.48	9556.16	1830.02	6705.73	8129.32	2404.11	1160.07	991.17	-7.96	44513.70
1995-96	3933.97	5647.15	1753.72	3697.04	1404.59	10160.24	1985.20	7367.01	7146.18	2845.26	1470.15	962.69	76.71	48449.91
1996-97	4735.80	6490.62	2682.29	4302.65	1435.60	11937.89	2394.97	7702.51	5195.01	3270.77	1641.63	1086.74	169.45	53045.93
1997-98	5111.18	7590.06	2621.75	4538.15	1373.11	11760.27	2016.13	8888.05	8164.40	3291.10	2479.52	1223.03	203.27	59260.02
1998-99	5858.03	8871.16	3223.45	5033.04	1356.88	13464.59	2086.10	9232.30	7491.43	4625.72	2082.88	1336.31	208.73	64870.62
1999-00	6667.65	9446.24	3458.10	5495.88	1175.76	14948.85	1995.87	10383.52	7267.68	5295.61	2119.11	1703.02	363.27	70320.56

स्रोत : राज्यों के बजट पर भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के विभिन्न प्रकाशन

संलग्नक 2.3 क

राज्यों का कुल राजस्व परिष्यय- प्रमुख क्षेत्रवार

(वर्तमान मूल्यों पर करोड़ रुपये)

वर्ष	1. शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	2. चिकित्सा, परिवार नियोजन, जन स्वास्थ्य और जल आपूर्ति	3. गृह निर्माण और शहरी विकास	4. कल्याण, सुरक्षा, पो-आहार कार्यक्रम	5. अन्य सामाजिक सेवाएं	6. श्रृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा-क्षेत्र के कार्यक्रम	7. उद्योग और खनिज	8. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	9. ऊर्जा	10. सड़क और पुल	11. अन्य आर्थिक सेवाएं	12. सामान्य सेवाएं	13. स्थानीय निकायों को सुपुर्द करार्थ	14. कुल
1974-75	1393.50	565.11	34.26	262.30	169.82	887.83	91.00	254.96	64.08	209.48	170.21	1862.37	71.93	6036.85
1975-76	1619.54	648.24	46.34	295.14	188.88	1058.61	98.30	276.13	66.69	221.60	189.77	2183.23	74.03	6966.50
1976-77	1782.49	808.68	53.52	326.06	167.49	1208.18	122.39	315.91	77.16	282.55	224.85	2478.32	92.59	7940.19
1977-78	2031.81	833.91	67.26	370.78	241.51	1402.70	140.36	374.54	101.10	312.67	249.91	2682.06	102.83	8911.44
1978-79	2297.96	985.92	91.99	508.81	233.59	1802.69	181.48	472.55	142.62	378.93	281.23	3003.05	130.50	10511.32
1979-80	2575.64	1171.61	94.08	635.81	387.82	2106.84	197.78	487.30	182.72	435.00	326.60	3303.40	176.45	12081.05
1980-81	3117.56	1390.45	85.13	916.99	446.89	2570.17	237.19	588.59	344.13	517.00	300.64	4088.14	204.93	14807.81
1981-82	3605.26	1683.92	89.51	1105.22	414.46	2961.50	278.32	709.96	290.47	587.86	375.91	4760.68	212.17	17075.24
1982-83	4358.12	2011.59	118.07	1282.33	714.81	3419.88	306.99	746.74	360.16	618.33	424.01	5629.30	247.10	20237.43
1983-84	5019.69	2429.94	132.42	1564.93	665.14	4309.71	406.90	894.60	341.64	672.20	504.07	6558.28	303.77	23803.29
1984-85	5848.88	2768.39	152.42	1719.20	883.43	5319.27	471.70	1036.28	419.65	723.16	640.19	8009.33	357.10	28349.00
1985-86	6840.20	3226.36	415.94	2019.83	864.04	5467.61	588.06	1889.81	226.69	834.43	703.19	9293.92	399.60	32769.68
1986-87	7755.36	3731.26	551.30	2399.68	759.90	6350.47	666.70	2408.29	404.00	1091.19	824.24	10747.86	441.68	38131.93
1987-88	9010.42	4374.89	549.54	2777.30	993.43	7352.81	732.65	2775.02	914.46	1299.35	1039.74	12840.58	490.64	45150.83
1988-89	10942.59	4871.70	725.26	2996.40	1038.15	8227.76	868.86	3318.96	773.74	1376.07	1097.30	15436.41	554.63	52227.83
1989-90	13571.02	5440.51	856.62	3398.43	750.29	8009.77	1217.42	3394.32	1092.47	1513.29	1536.44	18833.09	602.99	60216.66
1990-91	15527.71	6224.06	994.89	4141.06	1074.57	11299.37	1165.30	3456.20	988.50	1848.65	2134.40	22136.99	784.05	71775.75
1991-92	17076.00	6899.00	1161.00	4649.00	1306.00	12680.00	1272.00	4141.00	5030.00	2218.00	2076.00	26665.30	1016.00	86189.30
1992-93	19261.11	7756.53	1172.77	5147.17	1227.49	15192.35	1356.18	4867.89	2615.27	2465.76	2402.01	31505.94	1234.72	96205.19
1993-94	21593.53	9093.80	1312.04	5698.51	1262.73	16658.00	1418.20	5428.10	3167.87	2773.94	2431.50	37366.71	1171.26	109376.19
1994-95	25076.71	10377.43	1566.77	6682.58	1266.33	16593.07	1704.99	6382.73	2989.22	3210.31	3144.23	48171.10	1302.11	128467.58
1995-96	28911.22	11619.35	2010.65	8720.54	2344.83	17077.75	1960.06	7146.76	3183.26	3506.18	2795.11	54197.43	1530.73	145003.87
1996-97	33064.31	13097.66	2500.39	9283.56	2381.65	19056.06	2155.48	7978.73	9552.44	3913.77	3169.97	60863.92	1930.32	168948.26
1997-98	37159.95	15287.06	2938.52	10485.75	2440.37	20824.80	1988.97	8650.78	6162.26	4311.68	3535.21	69891.39	2956.97	186633.71
1998-99	45648.83	17961.29	3659.14	12031.77	2719.77	24859.23	2175.68	9894.43	5619.51	3910.50	3377.54	84701.21	3530.62	220089.52
1999-00	55929.80	19706.01	4083.98	13150.03	3268.15	27271.04	2141.58	10418.00	6792.95	4462.07	4091.11	105143.99	4539.48	260998.19

स्रोत : राज्यों के बजट पर भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के विभिन्न प्रकाशन

राज्यों का कुल पूंजीगत परिव्यय-प्रमुख क्षेत्रवार

(वर्तमान मूल्यों पर करोड़ रुपये)

वर्ष	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	शिक्षित्वा, परिवार नियोजन, जन स्वास्थ्य और जल आपूर्ति	गृह निर्माण और शहरी विकास	कल्याण, सुरक्षा, पो-हाहार कार्यक्रम	अन्य सामाजिक सेवाएँ	शृंगि, ग्रामीण विकास, विशेष-क्षेत्र कार्यक्रम	उद्योग और खनिज	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	ऊर्जा	सड़क और पुल	अन्य आर्थिक सेवाएँ	सामान्य सेवाएँ	स्थानीय निकायों को सुपुर्द कार्य	शुल
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1974-75	11.11	63.38	25.83	106.76	17.49	379.65	76.51	448.47	454.32	110.70	147.57	734.91	0.00	2576.70
1975-76	15.11	74.27	25.03	119.60	25.48	518.04	98.08	569.10	645.29	145.51	127.68	950.98	0.00	3314.17
1976-77	17.94	87.97	35.49	193.44	32.84	474.54	124.35	771.21	780.11	162.85	184.42	1035.71	0.00	3900.87
1977-78	16.31	103.42	36.67	196.79	32.75	397.55	117.46	969.09	924.78	200.33	226.18	1127.63	0.00	4348.96
1978-79	23.44	118.33	40.99	236.12	22.31	605.48	136.05	1134.53	1131.05	275.67	294.93	1159.58	0.00	5178.48
1979-80	27.83	166.08	44.54	283.17	19.06	846.31	157.70	1276.75	1209.55	329.74	287.55	1193.16	0.00	5841.44
1980-81	30.58	217.66	49.68	320.63	25.26	1029.17	197.79	1413.18	1349.80	406.75	405.59	2410.11	0.00	7856.20
1981-82	40.33	265.34	68.65	360.46	23.27	864.54	280.22	1592.59	1455.76	455.04	451.02	2237.11	0.00	8094.33
1982-83	42.02	317.60	73.66	373.31	60.35	918.63	263.88	1700.43	1607.75	462.58	468.03	2216.12	0.00	8504.36
1983-84	42.19	413.29	115.61	384.54	20.54	1080.48	312.84	1864.44	1763.45	494.02	539.28	2706.29	0.00	9736.97
1984-85	52.67	412.38	92.48	450.93	37.69	1404.04	362.02	2050.24	2000.43	549.69	562.94	3532.10	0.00	11507.61
1985-86	88.09	448.44	255.54	87.26	294.55	1024.79	466.03	2598.25	2043.10	633.20	717.11	3440.55	0.00	12096.91
1986-87	120.16	527.92	429.48	103.09	408.13	983.15	598.06	2711.09	2631.35	768.36	679.39	3768.33	0.00	13728.51
1987-88	129.05	588.40	460.10	102.33	423.10	1024.66	790.09	2966.11	2817.91	777.24	614.39	4089.98	0.00	14783.36
1988-89	167.55	608.48	456.06	106.09	397.71	945.31	592.54	3265.53	2650.43	818.66	738.44	4103.43	0.00	14850.23
1989-90	264.29	521.59	502.62	103.14	365.13	1378.76	789.32	3291.03	3437.33	934.96	781.41	4194.98	0.00	16564.56
1990-91	283.53	591.04	529.14	146.51	447.64	1413.27	807.56	3656.48	4590.06	1086.94	962.99	4797.14	0.00	19312.30
1991-92	277.99	775.05	725.21	201.15	611.64	1145.30	793.19	3851.83	5724.52	1141.56	831.07	5664.49	0.00	21743.00
1992-93	302.06	812.30	697.78	214.32	740.27	1711.13	822.48	4293.17	5318.44	1254.82	935.67	6027.02	0.00	23129.46
1993-94	314.45	957.81	878.57	192.17	675.49	1588.58	941.29	4967.95	5253.59	1647.12	1132.38	6722.96	0.00	25272.36
1994-95	396.90	1217.71	945.54	235.61	1174.66	1853.11	1067.74	5862.12	9681.75	2171.83	1103.40	7403.54	0.00	33113.91
1995-96	474.90	1264.40	1063.30	247.18	1179.02	2385.85	928.98	6645.77	7540.13	2517.69	1296.39	7036.23	0.00	32579.84
1996-97	513.62	1424.49	1681.49	438.72	1073.28	1837.56	1071.86	6960.60	6216.40	2930.92	1704.81	7965.13	0.00	33818.88
1997-98	555.14	1676.94	1301.01	502.13	1173.95	2612.24	1016.42	8311.11	8930.19	2975.26	2428.64	10018.04	0.00	41501.07
1998-99	661.14	2260.16	1445.94	579.08	1124.57	3284.44	1005.10	8505.51	7712.29	4212.30	1855.22	13625.58	0.00	46271.33
1999-00	420.32	2581.72	2107.33	583.26	1150.77	4514.88	911.26	9849.51	7279.61	4754.27	1829.32	16908.36	0.00	52890.61

स्रोत : राज्यों के बजट पर भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के विभिन्न प्रकाशन

राज्यों का कुल परिष्यय-प्रमुख क्षेत्रवार (वास्तविक)

(वर्तमान मूल्यों पर करोड़ रुपये)

वर्ष	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	शिक्षितता, परिवार नियोजन, जन स्वास्थ्य और जल आपूर्ति	गृह निर्माण और शहरी विकास	कल्याण, सुरक्षा, पोषाहार कार्यक्रम	अन्य सामाजिक सेवाएं	शृषि, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	उद्योग और खनिज	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	ऊर्जा	सड़क और पुल	अन्य आर्थिक सेवाएं	सामान्य सेवाएं	स्थानीय निकायों को सुपुर्द कार्य	कुल
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1974-75	1404.61	628.49	60.09	369.06	187.31	1267.48	167.51	703.43	518.40	320.18	317.78	2597.28	71.93	8613.55
1975-76	1634.65	722.51	71.37	414.74	214.36	1576.65	196.38	845.23	711.98	367.11	317.45	3134.21	74.03	10280.67
1976-77	1800.43	896.65	89.01	519.50	200.33	1682.72	246.74	1087.12	857.27	445.40	409.27	3514.03	92.59	11841.06
1977-78	2048.12	937.33	103.93	567.57	274.26	1800.25	257.82	1343.63	1025.88	513.00	476.09	3809.69	102.83	13260.40
1978-79	2321.40	1104.25	132.98	744.93	255.90	2408.17	317.53	1607.08	1273.67	654.60	576.16	4162.63	130.50	15689.80
1979-80	2603.47	1337.69	138.62	918.98	406.88	2953.15	355.48	1764.05	1392.27	764.74	614.15	4496.56	176.45	17922.49
1980-81	3148.14	1608.11	134.81	1237.62	472.15	3599.34	434.98	2001.77	1693.93	923.75	706.23	6498.25	204.93	22664.01
1981-82	3645.59	1949.26	158.16	1465.68	437.73	3826.04	558.54	2302.55	1746.23	1042.90	826.93	6997.79	212.17	25169.57
1982-83	4400.14	2329.19	191.73	1655.64	775.16	4338.51	570.87	2447.17	1967.91	1080.91	892.04	7845.42	247.10	28741.79
1983-84	5061.88	2843.23	248.03	1949.47	685.68	5390.19	719.74	2759.04	2105.09	1166.22	1043.35	9264.57	303.77	33540.26
1984-85	5901.55	3180.77	244.90	2170.13	921.12	6723.31	833.72	3086.52	2420.08	1272.85	1203.13	11541.43	357.10	39856.61
1985-86	6928.29	3674.80	671.48	2107.09	1158.59	6492.40	1054.09	4488.06	2269.79	1467.63	1420.30	12734.47	399.60	44866.59
1986-87	7875.52	4259.18	980.78	2502.77	1168.03	7333.62	1264.76	5119.38	3035.35	1859.55	1503.63	14516.19	441.68	51860.44
1987-88	9139.47	4963.29	1009.64	2879.63	1416.53	8377.47	1522.74	5741.13	3732.37	2076.59	1654.13	16930.56	490.64	59934.19
1988-89	11110.14	5480.18	1181.32	3102.49	1435.86	9173.07	1461.40	6584.49	3424.17	2194.73	1835.74	19539.84	554.63	67078.06
1989-90	13835.31	5962.10	1359.24	3501.57	1115.42	9388.53	2006.74	6685.35	4529.80	2448.25	2317.85	23028.07	602.99	76781.22
1990-91	15811.24	6815.10	1524.03	4287.57	1522.21	12712.64	1972.86	7112.68	5578.56	2935.59	3097.39	26934.13	784.05	91088.05
1991-92	17353.99	7674.05	1886.21	4850.15	1917.64	13825.30	2065.19	7992.83	10754.52	3359.56	2907.07	32329.79	1016.00	107932.30
1992-93	19563.17	8568.83	1870.55	5361.49	1967.76	16903.48	2178.66	9161.06	7933.71	3720.58	3337.68	37532.96	1234.72	119334.65
1993-94	21907.98	10051.61	2190.61	5890.68	1938.22	18246.58	2359.49	10396.05	8421.46	4421.06	3563.88	44089.67	1171.26	134648.55
1994-95	25473.61	11595.14	2512.31	6918.19	2440.99	18446.18	2772.73	12244.85	12670.97	5382.14	4247.63	55574.64	1302.11	161581.49
1995-96	29386.12	12883.75	3073.95	8967.72	3523.85	19463.60	2889.04	13792.53	10723.39	6023.87	4091.50	61233.66	1530.73	177583.71
1996-97	33577.93	14522.15	4181.88	9722.28	3454.93	20893.62	3227.34	14939.33	15768.84	6844.69	4874.78	68829.05	1930.32	202767.14
1997-98	37715.09	16964.00	4239.53	10987.88	3614.32	23437.04	3005.39	16961.89	15092.45	7286.94	5963.85	79909.43	2956.97	228134.78
1998-99	46309.97	20221.45	5105.08	12610.85	3844.34	28143.67	3180.78	18399.94	13331.80	8122.80	5232.76	98326.79	3530.62	266360.85
1999-00	56350.12	22287.73	6191.31	13733.29	4418.92	31785.92	3052.84	20267.51	14072.56	9216.34	5920.43	122052.35	4539.48	313888.80

स्रोत : राज्यों के बजट पर भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के विभिन्न प्रकाशन